बच्चों के
कानूनी हक

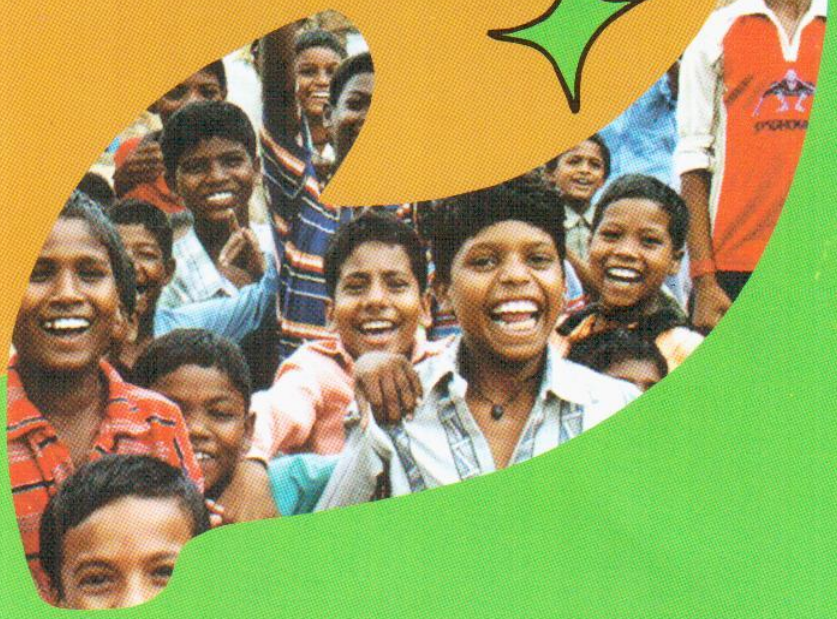

बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड

scpcr.uk

बच्चों के कानूनी हक

Government of India

संपादन

अजय सेतिया

scpcr.uk

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड

बच्चों के कानूनी हक

संपादन– अजय सेतिया
अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग

वर्ष– 2012 सितम्बर

प्रकाशन– राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
देहरादून

मुद्रक– .....

प्रतियां– 1000

निर्देशिका

प्राक्कथन	–	5
भूमिका	–	7
अंतर्राष्ट्रीय प्रयास	–	9
भारत में बच्चों से संबंधित कानून	–	12
बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून	–	13
मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून	–	16
शिक्षा संबंधी आयोग के दिशा–निर्देश	–	19
स्कूलों में मारपीट रोकने के दिशा–निर्देश	–	22
किशोर न्याय कानून–जुवेनाईल जस्टिस एक्ट	–	23
यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण कानून	–	31
बाल मजदूरी विरोधी कानून	–	33
बाल श्रम पर आयोग के दिशा–निर्देश	–	37
बाल श्रम पर समाज कल्याण विभाग को दिशा–निर्देश		40
बाल श्रम पर उत्तराखण्ड पुलिस की जिम्मेदारी		41
बाल श्रम पर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी	–	42
समेकित बाल विकास सेवाएं	–	44
समेकित बाल संरक्षण योजना	–	46
गृह मंत्रालय की मानव तस्करी योजना	–	50
राष्ट्रीय बाल नीति– 1974	–	51
बच्चों की राष्ट्रीय नीति– 2003	–	55
विशेष किशोर न्याय पुलिस यूनिट एवं सी.डब्ल्यू.ओ की सूची		62
बाल कल्याण समितियों की सूची	–	67
राज्य में चल रहे बाल गृह	–	69

प्राक्कथन

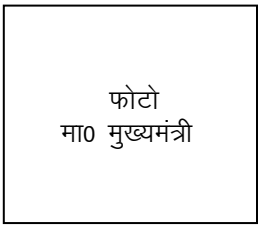

हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिस में हर नागरिक खुशहाल हो। गुलामी की कई सदियों ने भारत वासियों की जीवन पद्वति बदल दी थी। संविधान निर्माता एक ऐसा आधुनिक देश बनाने की आधारशिला रख रहे थे जिस में आने वाले समय में खुशहाली की इबारत लिखी जाए।

वे जमीन से जुड़े नेता थे, वे देश की वास्तविक दशा से चिन्तित थे। वे जानते थे कि कहां–कहां कैसे–कैसे सुधार की जरूरत पड़ेगी। वे जानते थे कि सुधार एक झटके में नही होंगे, बल्कि सीढी दर सीढी आगे बढ़ना होगा। संविधान लागू होने के साठ साल बाद हम पीछे नजर दौडा कर देखते हैं तो हमे हमारे संविधान निर्माताओं की दूर–दृष्टि पर गर्व होता है। उनकी बनाई विकास और समृद्वि की सीढी में हमने अभी पांव रखा है। मंजिल अभी दूर है। हम कुछ कदम चले हैं। काफी चलना अभी बाकी है।

हम संविधान के अनुच्छेद 21 पर नजर दौडाएं तो देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 साल पहले तय किया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत देर लगा दी है। लेकिन आखिरकार यूपीए सरकार ने 2009 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू कर के इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। इस कानून को धरातल पर लागू करके हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना को साकार करना अब हम सब का दायित्व है। बच्चे खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का विजन इस मामले में एक दम साफ था। अब हम नेहरू जी का सपना साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। देश में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनने के बाद राज्य में भी उसका सही क्रियान्वयन हो, इस दिशा में भी कदम उठ चुका है। संसद से पारित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भी हो चुका है। कानून में यह भी प्रावधान है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी आयोग की है।

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 23 में अनैतिक व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का संकल्प भी लिया था। इस दिशा में भी 1956 और 1980 में अनैतिक व्यापार रोकने के लिए कानून बना। 1976 में बंधुआ मजदूरी खत्म करने का कानून बना। हालांकि इस दिशा में काम अभी बाकी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बनने और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आयोग का गठन होने से जागरूकता बढ़ रही है। प्रशासन में भी चुस्ती आ रही है। आयोग को संविधान प्रदत्त अधिकारों के द्वारा अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं का यह सपना भी जल्द पूरा होगा।

अनुच्छेद 24 में संविधान निर्माताओं ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, खनन और जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। हमने 1980 में बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन कानून बनाया। लेकिन सदियों की सामाजिक कुरीतियों के कारण इस कानून को पूरी तरह लागू करने में हमे

सफलता नहीं मिली है। हालांकि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्वता के अनुरूप आगे बढ़ रही है। अब हमारा संकल्प 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों से हर तरह के काम करवाने पर प्रतिबंध लगाना है, 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू होने के बाद यह लक्ष्य जरूरी है। केंद्रीय श्रम कल्याण मंत्रालय इस दिशा में जरूरी कदम उठा रहा है।

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 39 (1) में लिखा था– राज्य सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण विकास हेतु अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध हों। हमने 1960 से ही उपेक्षित, प्रभावित और आपराधिक प्रवृति का शिकार हुए बच्चों के विकास के लिए कानून और योजनाएं बनानी शुरू की। 1974 में पहली राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई। 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए तो भारत ने भी अपने कानूनों को मजबूत करने और योजनाओं को विस्तार देने का काम शुरू किया है। इस बीच हम ने उपेक्षित और अपराधिक प्रवृति के शिकार बच्चो के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट–2006 बनाया है। जिसमें कई तरह की योजनाएं जैसे जरूरतमंद बच्चों के लिए शैल्टर होम और चिल्र्डन होम हैं तो कानून तोडने वाले बच्चों को सुधारने के लिए आब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम की व्यवस्था है। राज्य में इस क्षेत्र में काम की जरूरत है। राज्य बाल अधिकार आयोग गठन के बाद प्रयास तेजी से शुरू हो चुके हैं। छह वर्ष तक के बच्चों के लिए भारत सरकार की आईसीडीएस योजना पहले से ही राज्य में सुचारू रूप से चल रही है। आईसीपीएस योजना को भी जल्द ही लागू किया जाएगा। राज्य के देहरादून, हरिद्वार के बाद अब अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल में आईसीपीसी के अंतर्गत चाईल्ड हैल्प लाईन 1098 शुरू हो रही है। आने वाले वर्षो में इसे पूरे राज्य में लागू करेंगे। इन सब योजनाओं और कानून के प्रति अधिकारों, समाज और जन सामान्य को जागृत करने के लिए राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष अजय सेतिया की यह मार्ग दर्शिका पुस्तक निश्चित ही प्रभावशाली कदम साबित होगी। इस मार्ग दर्शिका पुस्तक में बच्चों से जुड़े सभी कानूनों, कार्यक्रमो, आयोग के दिशा–निर्देशों को समाहित करने के साथ–साथ संबंधित अधिकारियों के बारे में भी जानकारी है। जो निश्चित ही प्रभावित बच्चे को सही समय पर राहत पहुंचाने में सहायक होगी।

(विजय बहुगुणा)
मुख्यमंत्री, उतराखण्ड

भूमिका

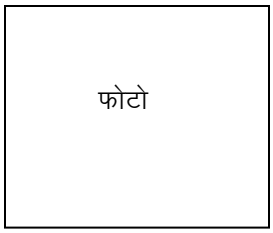

सत्तर के दशक में श्री कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आन्दोलन शुरू किया तो आश्चर्य होता था। धीरे–धीरे इस मुद्दे को समझने की ललक बढ़ी। नब्बे के दशक में ग्लोबल मार्च एगेंस्ट चाइल्ड लेबर शुरू हुआ। इस आंदोलन से जुड़ने का अवसर मिला तो बच्चों की दुर्दशा को समझने में और मदद मिली।

हम मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के बच्चों को जिस रूप में देखते हैं, हमारे देश के हर बच्चे का बचपन वैसा नहीं है। आजादी के 65 वर्ष बाद भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। पैंसठ वर्ष बाद भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या में कोई बड़ी गिरावट नहीं हो पा रही। जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के करीब–करीब हर देश की यही स्थिति है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में तो हाल और भी बदत्तर है। अमेरिका और यूरोप को छोड़ दें तो शेष दुनिया अभी अपने बच्चों को एक समान विकास के अवसर नहीं दे पाई है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि आजाद भारत में हर बच्चे को विकास के समान अवसर मिलेंगे। संविधान की कुछ धाराओं में ऐसे भारत की कल्पना की गई थी। जिसमें सब बच्चों का एक जैसा विकास होगा। जैसे अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी बंद करने। अनुच्छेद 21 में 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा देने जैसे अधिकार। लेकिन संविधान के इन प्रावधानों को लागू करवाने में हमे दशकों लग गए। अभी भी अनेक प्रावधान लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 1989 के संयुक्त राष्ट्र संकल्प ने दुनिया में बच्चों को लेकर जागृति पैदा की है। हमने 1992 में इस संकल्प प्राटोकाल पर हस्ताक्षर कर अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू किया। हमने बच्चें को सामने रखकर कानून और नीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। कानून तो पहले भी थे लेकिन नए कानूनों ने समाज और सरकारों को ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील बनाया है।

केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना का सीधा लाभ और असर बच्चों के जीवन पर पड़ रहा है। व्यस्क बेरोजगार को रोजगार की गारंटी मिलेगी, तो घर में राशन, पानी आएगा। बाल मजदूरी बंद होगी। बच्चा खुशहाल होगा। बच्चों के अधिकारों की व्यापक व्यवस्था की गई। 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति, 1975 में समेकित बाल विकास योजना, 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति, 2003 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर जैसे कई प्रयास हुए। यह राष्ट्रीय चार्टर ही आगे जाकर बच्चों से संबधित सभी नीतियों का मार्ग दर्शक बना। संविधान में किए गये वायदों को निभाने की प्रक्रिया इसी चार्टर के माध्यम से शुरु हुई है। बाल अधिकार सरंक्षण आयोग इसी चार्टर में किए गये वायदे को निभाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 21 की भावना और 2003 के राष्ट्रीय चार्टर में किए गये वायदे के अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनकर लागू हो गया है। अनुच्छेद 23 के अनुरूप बंधुआ मजदूरी रोकने के कानून को और कड़ा किया गया है। चार्टर में वायदा किया गया था कि 14 वर्ष की आयु तक बाल श्रम पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया

जायेगा। यह पुस्तिका जब लिखनी शुरू की थी तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सिर्फ जोखिम भरे कामों पर प्रतिबंध था। यह खुशी की बात है कि पुस्तिका आपके हाथ में आने से पहले 28 अगस्त 2012 को केन्द्रिय मंत्रीमंडल ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों पर न सिर्फ पूरी तरह बाल श्रम पर रोक लगाने का फैसला किया है अलबत्ता इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में भी रखने का फैसला किया है। बच्चों से किसी भी तरह की मजदूरी करवाने वाले को अब तीन साल की कैद और पचास हजार रू0 तक का जुर्माना होगा। सन 2012 भारतवर्ष को बाल श्रम मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण वर्ष के तौर पर याद किया जायेगा। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बाद 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की बाल मजदूरी पर पूर्णतया प्रतिबंध का कानून और भी जरुरी हो गया था।

2003 के राष्ट्रीय चार्टर में सरकार के साथ–साथ समाज की भूमिका पर भी जोर दिया गया था। चार्टर से 3 साल पहले सन् 2000 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, तो उसमें समाज की भूमिका तय की गई थी। जिला बाल कल्यांण समितियां, जुवेनाइल जस्टिस पुलिस इसी दिशा में उठाये जाने वाले कदम थे। केन्द्र सरकार ने गांव, कस्बे, शहर, महानगर, जिला स्तर पर समाज की भूमिका के लिए समेकित बाल सरंक्षण कार्यक्रम शुरु किया है। चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 इसी के अन्तर्गत शुरु हुयी है। लेकिन यह योजना तब तक कारगर नही हो सकती जब तक जिलों में आधारभूत ढांचा, जैसे कि बाल गृहों का निर्माण नही होता। ज्यादातर राज्यों में जमीन स्तर पर इसका स्वरुप दिखाई नही दे रहा। उत्तराखण्ड ऐंसा राज्यों में अग्रणी है। सरकारी कार्यक्रमो, कानूनों, बच्चों के अधिकारों को लेकर न समाज में इतनी जागृति है, न सरकारी कर्मचारियों में। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी आते ही पहला काम था, आयोग का 'लोगो' तैयार करवाना। देश में पहली बार यह प्रयोग किया गया कि बाल आयोग का 'लोगो' बच्चों से ही तैयार करवाया जाए। राज्य के 14 वर्ष आयु तक के बच्चों से प्रतियोगिता करवाई गयी और अन्ततः इस पुस्तिका के टाईटल पेज पर छपा 'लोगो' देहरादून की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची रोलिका अग्रवाल के हाथ से बना है। हम महामहिम राज्यपाल श्री अजीज कुरैशी के आभारी हैं कि उन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 'लोगो' अपने हाथों से जारी किया है। आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद मैंने महसूस किया कि सारे कानून अंग्रेजी भाषा में होने के कारण समाज के हर वर्ग के सामने मुश्किले आ रही हैं। इसलिए हिन्दी में उपलब्ध करवाने की जरूरत महसूस की। समूचे हिंदी भाषी उत्तर भारत में यह पहला प्रयास है, जिसमें बच्चों से जुड़े कानूनों को संक्षिप्त रूप में हिंदी में पेश किया जा रहा है। आयोग के दिशा–निर्देशों और बाल कल्याण समितियों व बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची भी दी गई है। अधिकारियों के अलावा समाज के जागरूक नागरिकों के लिए यह पुस्तिका मार्ग दर्शन का काम करें, इसी अपेक्षा से राज्य के बच्चों को समर्पित।

(अजय सेतिया)
अध्यक्ष

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

जब हम अपनी भावी पीढ़ी को सुसंस्कारित और जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयासो और कानूनी प्रावधानों को भी जानें। विश्व स्तर पर जैसे मानव अधिकार बनाए गए हैं वैसे ही बाल अधिकार भी बनाए गये हैं।

1924 में जेनेवा घोषणा। 20 नवम्बर 1959 में बाल अधिकारों की विश्व व्यापी घोषणा। संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में बिजिंग में हुई कनवैंशन ने सभी देशों के लिए बच्चों से संबंधित नियम बनाए। 20 नवंबर 1989 में बाल संरक्षण का संकल्प। पांच वर्ष बाद 1998 में किशोर न्याय/संरक्षण के नियम बनाए गए। 20 नवंबर 1989 में व्यापी संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा में कहा गया–

बचपन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवार समाज का मूलभूत समूह है और इसके सभी सदस्यों विशेषतः बच्चों के विकास और खुशहाली के लिए उन्हें आवश्यक संरक्षण एवं सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे समाज में अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा सकें। बच्चे के सुसंगत एवं पूर्ण विकास के लिए उसे परिवार के बीच खुशी, प्रेम एवं आपसी समझ–बूझ के वातावरण में बढ़ना चाहिए।

''संयुक्त राष्ट्र के इस घोषणा पत्र में बाल अधिकार समझौता प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सभी देशों के लिए बाल अधिकार सुनिश्चित करने का प्रावधान था। इस प्रस्ताव पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्वता व्यक्त की। इन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार ने कई कानून और बच्चों के विकास की कई योजनाएं बनाई हैं। सभी सदस्य देशों की सरकारों को हर 4 वर्ष बाद अपने देश में बच्चों के लिए किए गये प्रयासों की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को देनी होती है जिसे ''पिरियोडिक रिपोर्ट'' (सावधि रिपोर्ट) कहा जाता है। सरकारी रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र संबंधित देश की गैरसरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों से हर 5 वर्ष में अल्टरनेट रिपोर्ट (वैकल्पिक रिपोर्ट) आमंत्रित करती है और दोनों रिपोर्टो पर सरकार के प्रतिनिधियों तथा गैरसरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाती है। इस बैठक के आधार पर दुनिया के प्रत्येक देश के लिए योजनाओं के प्रस्ताव सुझाये जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी संगठनों को उन मुद्दों पर सहयोग सुनिश्चित करने को कहा जाता है।

बाल अधिकार किसके लिए ....? कौन है बच्चा .....?

1. जन्म से पहले का काल (गर्भ में आने से जन्म तक)
2. शिशु स्थिति जब तक पूरी तरह से चलना नहीं सीखा (3 साल तक)
3. प्रारंभिक बाल्यावस्था (3 से 6 वर्ष)
4. माध्यमिक बाल्यावस्था (6 से 12 वर्ष)

5. किशोर अवस्था (12 से 18 वर्ष)

क्या है मुख्य अधिकार ? और दायित्व !
संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा एवं प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र संघ– अनुच्छेद 3 एवं अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि सभी देश, बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करने में उसके माता–पिता, कानूनी अभिभावक, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे और इसके लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे। सभी देश बच्चों के संरक्षण व देखभाल के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र के लिए जिम्मेदार संस्थाओं, सेवाओं और सुविधाओं को सुनिश्चित करेंगे। हर बच्चे को जीने का जन्मजात अधिकार है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे का जन्म पंजीकरण कर लिया जायेगा ताकि बच्चे का नाम–पहचान एवं राष्ट्रीयता सुनिश्चित हो सके ।

विकास का अधिकार – बच्चे के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सभी देश अपने उपलब्ध संसाधनो का यथासंभव अधिकत्तम उपयोग करेंगे। विधि समस्त रूप से राष्ट्रीयता, नाम और पारिवारिक सम्बंधों सहित बच्चे की अस्मिता का सम्मान करेंगे।

– (संयुक्त रा.सं.–अनुच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 8)

सुरक्षा का अधिकार – समझौते में शामिल देश ऐसे सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करेंगे जिनसे माता–पिता, अभिभावक के संरक्षण में रह रहे बच्चे को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, चोट अथवा अपमान, उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार, शोषण, यौन शोषण से बचाया जा सके।

– (सं.रा.सं.–अनुच्छेद 19)

भागीदारी का अधिकार – सभी देश संगठन बनाने की आजादी तथा शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की बच्चों की आजादी को स्वीकार करते हैं। आराम करने, अपनी उम्र के अनुरूप मनोरंजन करने और सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं में मुक्त रूप से भाग लेने के अधिकार को मान्यता देंगे एवं समान अवसरों वाले प्रावधानो को प्रोत्साहन देंगे। देश संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऐसी सूचना और सामग्री मिले जो बच्चों के सामाजिक, अध्यात्मिक और नैतिक हित व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें।

– (सं.रा.सं.–अनुच्छेद 15,17 एवं अनुच्छेद 31)

बच्चे का अधिकार –

1. पैदा होने का अधिकार–नाम एवं राष्ट्रीयता होने का अधिकार।
2. स्वतंत्रता का अधिकार। साथ ही अपने परिवार के साथ रहने का व परिवार द्वारा स्वयं की देखभाल किये जाने का अधिकार।
3. अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।

4. अपनी क्षमताओं (Potential) का पूरा उपयोग करने का अधिकार।
5. पर्याप्त भोजन, आवास एवं पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार।
6. अच्छे आचार–व्यवहार व तौर तरीके सीखने का अधिकार।
7. खेल एवं मनोरंजन के अवसरों का अधिकार।
8. युद्व, झगड़ों, खतरे एवं हिंसा के दौरान बचाव का अधिकार।
9. शांतिपूर्ण समुदाय में जीने का अधिकार।
10. सरकार द्वारा बचाव व सहयोग (Assisted) किए जाने का अधिकार।
11. अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार।
12. संगठनों से जुड़ने एवं शांतिपूर्ण सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार।

बाल अधिकारों से जुड़ी राष्ट्रीय नीतियाँ

- राष्ट्रीय बाल नीतिः 22 अगस्त 1974 को लागू राष्ट्रीय बाल नीति निर्धारित करती है कि बच्चों के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु, जन्म पूर्ण एवं उसके पश्चात राज्य द्वारा समुचित सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।
- राष्ट्रीय पोषण नीति (1993): यह नीति भारतीय बच्चों के स्तर में विकास पर ध्यान देती है।
- बच्चों हेतु राष्ट्रीय चार्टर (2003): बच्चों के विभिन्न अधिकारों उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीवन स्तर, खेल एवं आराम, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, समानता, जीवन एवं स्वतन्त्रता, नाम तथा राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संगठन तथा शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतन्त्रता, परिवार का अधिकार तथा आर्थिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार– आदि के प्रति भारत सरकार के समर्पण का घोतक है।
- बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (2005): भारतीय संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं में बालकों हेतु प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

भारत में बच्चों से संबंधित कानून

1. IPC- Indian panel code, 1860- भारतीय दंड संहिता, 1860।
2. Child marriage abolition Act, 1929 बाल विवाह उन्मूलन कानून (शारदा एक्ट)।
3. Suppression of Imoral Traffic in women and girls Act, 1956 (SITA) and the lmmoral traffic (Prevention) Act, 1986 (IPTA) 2006 में फिर कानून में संशोधन हुआ।
4. 1960 में उपेक्षित, आपराधिक और प्रभावित 3 तरह के बच्चों के लिए जुवेनाइल कानून बनाया गया जिसे कुछ प्रदेशों में माडल के रूप में लागू किया गया। तब जुवेनाइल कोर्ट तो था पर बच्चों की उम्र का निर्धारण नहीं किया गया था।
5. Bonded Labour system abolition act, 1976 यानि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976।
6. Child Labour (Prohibition and regulation) Act, 1986 यानि बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन कानून।
7. 1985 में संयुक्त राष्ट्र (बिजिंग) नियमों के अगले ही वर्ष 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पूरे भारत में लागू किया गया।
8. 1989 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जारी हुआ, तीन वर्ष बाद 1992 में भारत ने UNCRC संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये। जिसके आधार पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में फिर से नये संशोधन की जरूरत पड़ी। और बच्चों को ''मेरी संपत्ति'' की बजाय ''स्वतंत्र अस्तित्व'' के रूप में स्वीकारने के लिए संशोधन हुए।
9. वर्ष 2000 में ''जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन'' एक्ट बना। 2006 में संशोधित हुआ।
10. PCSD- 2012 बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012।

बच्चों से संबंधित कानूनी योजनाएं

1. 1975 में बच्चों के विकास के लिए I.C.D.S समेकित बाल विकास योजना शुरू हुई।
2. 2005 में एन0सी0पी0सी0आर0 एक्ट बना कर केंद्र और राज्यों में बाल संरक्षण आयोग बनाने का रास्ता साफ हुआ।
3. 2009 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून पास हुआ। जिसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ–साथ आयोग को भी दी गई।
4. सभी बाल कानूनो को मिलाकर भारत सरकार ने 2009 में समेकित बाल सुरक्षा योजना बनाई है। जिसे ICPS- Integrated child protection scheme कहा जाता है।
5. गृह मंत्रालय की मानव तस्करी रोकथाम योजना।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग

संयुक्त राष्ट्र ने मई 2002 में बच्चों से संबंधित एक प्रस्ताव लागू किया, जिसका शीर्षक था– ''बच्चों के लिए सुरक्षित दुनिया'' इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशो से बाल अधिकार आयोग बनाने की अपेक्षा की गई। संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर के बाद 2005 में संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश किया गया जो 2006 में पारित होकर कानून बन गया। इस अधिनियम की धारा तीन के अंतर्गत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एक संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ। अधिनियम की धारा 17 में राज्यों में आयोग गठित करने का प्रावधान है। इसी के अंतर्गत 10 मई 2011 को उत्तराखण्ड में आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की गई। आयोग में बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को तैनात किए जाने का प्रावधान है। आयोग का एक अध्यक्ष और छह सदस्य होंगे।

आयोग को बच्चों के क्षेत्रों से जुड़ी सभी योजनाओं को लागू करवाने, शिकायतों की सुनवाई करने और बाल अधिकारों के हनन पर कानून की धारा 13 और 14 के अंतर्गत सीधे कार्रवाई करने का वैधानिक अधिकार है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अनुच्छेद 31 के अनुसार राज्यों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करवाने, शिकायतों का अनुश्रवण एवं निवारण का अधिकार भी राज्यो के बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिया गया है। नए बने बाल यौन शोषण संरक्षण कानून 2012 (PCDS) को लागू करवाने का अधिकार भी आयोग को दिया गया है। उत्तराखण्ड का बाल अधिकार संरक्षण आयोग समाज कल्याण विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और शिक्षा विभाग की बच्चों से जुड़ी सभी योजनाओं पर निगरानी रखने और कानून के अनुसार लागू करवाने की कोशिशों में जुटा है। राज्य को बाल श्रम मुक्त करवाने, लावारिस बच्चों के लिए चाईल्ड होम बनवाने, गरीब, अनाथ बच्चों के लालन–पालन के लिए बाल गृह (Child Home) और आवास गृह (शैल्टर होम) इत्यादि बनवाने की दिशा में आयोग ने सक्रियता से काम शुरू किया है। आयोग प्रत्येक जिले में जाकर बच्चों की योजनाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठकें लेकर उन्हें जागृत करने के काम में जुटा है और आवश्यकतानुसार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आयोग बच्चों से अपेक्षा करता है कि बाल अधिकारों के हनन की शिकायत सीधे आयोग को कर सकते है।

आयोग के कार्य एवं अधिकार

कानून की धारा 13 (1) के अनुसार आयोग निम्नलिखित में से कोई या सभी कार्यों का निर्वहन करेगा।

(1) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना,

(2) प्रतिवर्ष या समय–समय पर जैसा कि आयोग उचित समझे, पर केन्द्र सरकार को बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना,

(3) बाल अधिकारों के हनन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना,

(4) बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे आंतकवाद, साम्प्रदायिक, हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण, पोर्नोग्राफी तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायों की अनुशंसा करना,

(5) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों में संरक्षण के साथ ही अवसाद ग्रस्त बच्चे, अपेक्षित एवं शोषित बच्चों, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहिन बच्चे एवं कैदियो के बच्चों के लिए उचित चिकित्सा संबंधी एवं अन्य उपायो की अनुशंसा करना,

(6) विभिन्न सन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का अध्ययन करना एवं समय–समय पर वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना,

(7) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित करना,

(8) बाल अधिकारों के संबंध में, समाज के सभी वर्गो में शिक्षा का प्रसार करना तथा बाल अधिकारों से संबंधित वर्तमान रक्षोपायों का, प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना,

(9) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित बाल संप्रेक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से संबंधित अन्य संस्थानों, जहां पर बच्चों को ईलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना,

(10) ऐसे मामलों में शिकायतों की जांच करना और नोटिस जारी करना, जहां–

(क) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन हो,

(ख) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियो का क्रियान्वयन न होना,

(ग) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिये बनायी गयी नीति, निर्देशिका अथवा निर्देश, जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुंचाना है, का भली भांति क्रियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ अर्थोपाय सुझाना,

(घ) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से संबंधित अन्य कार्य

(11) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अर्न्तगत बच्चों को शिक्षा संबंधी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण, बच्चों के प्रदत्त अधिकारों/रक्षापायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी

क्रियान्वयन के लिये संस्तुतियां करना, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।

14 (1) आयोग जब कानून की धारा 13 के अंतर्गत कोई जांच कर रहा होगा तो उसे कानूनी प्रक्रिया प्रणाली 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को मिले अधिकार प्राप्त होंगे। खासकर निम्न मामलों में

(क) किसी भी व्यक्ति को तलब करना और पेश होने के लिए बाध्य करना और शपथपूर्ण पूछताछ करना

(ख) किसी भी दस्तावेज को हासिल करना

(ग) शपथ पत्र (Afidavits) पर सबूत हासिल करना

(घ) किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगवाना

(ण) गवाह या दस्तावेज की पडताल के लिए आदेश देना

14 (2) आयोग को अधिकार होगा कि वह कोई मामला अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को सुनवाई के लिए भेज दे। अगर मामला आपराधिक संहिता 1973 की धारा 346 के अंतर्गत भेजा जाएगा तो मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई शुरू करेगा।

15. इस कानून के अंतर्गत जांच के बाद आयोग निम्न में से कोई भी कदम उठा सकता है–

(I) अगर जांच में पाया जाता है कि बाल अधिकारों के मामले में गंभीर किस्म का उल्लंघन हुआ है या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो आयोग संबंधित सरकार या अधिकारी को मुकदमा चलाने की कार्यवाही करने की सिफरिश कर सकता है या संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

(II) आयोग सरकार या अन्य को निर्देश, आदेश जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकता है।

(III) प्रभावित व्यक्ति या उस के पारिवारिक सदस्यों को अंतरिम राहत देने के लिए आयोग सरकार या अधिकारियों को सिफारिश कर सकता है।

16 (2) आयोग सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देगा, जिसे सरकार विधानसभा के सदन पटल पर रखेगी।

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

2009 में भारत की संसद ने आठवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून पास किया। उत्तराखण्ड में यह कानून 2010 से लागू किया गया। लेकिन पूरी तरह से क्रियान्वयन 2011 में शुरू हुआ। कानून की धारा 31 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को जिम्मेदारी दी गई कि वह अपने–अपने राज्य में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करवाएं। कानून में छह वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सभी निजी स्कूलों को प्रथम कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े और राज्य सरकारो की ओर से निर्धारित मापदण्ड में आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। जो स्कूल सरकारी अनुदान हासिल नहीं करते उन्हें राज्य सरकार प्रवेश फीस, बच्चों की फीस, किताबों की कीमत आदि की अदायगी करेगी। इस संबंध में आरक्षण पाने का मापदण्ड और स्कूलों को अदा की जाने वाली फीस तय हो चुकी है। आयोग के प्रयासों से 2011 की लंबित फीस स्कूलों को अदा कर दी गई है। जिन स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं है वहां आरक्षण कोटा प्री नर्सरी कक्षा से ही शुरू होगा। इसका अर्थ हुआ कि चार या पांच वर्ष की आयु से मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा। आठवीं कक्षा तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बातें –

- कानून में सरकारों, प्रशासन, अध्यापकों, अभिभावकों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
- अधिनियम की धारा 17 में बच्चों को किसी तरह की सजा देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- बच्चों की आयु जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर तय होगी, लेकिन अगर जन्म प्रमाण पत्र नही हो तो प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिनियम 14 (2)।
- किसी भी बच्चे को आठवीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा और न ही किसी मुद्दे पर स्कूल से निकाला जाएगा।
- कानून लागू होने के बाद सभी स्कूलों को नये सिरे से मान्यता हासिल करनी होगी, जिसमें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की गारंटी भी देनी होगी।
- जो स्कूल मान्यता नहीं लेंगे या कानून लागू नहीं करेंगे, उनकी मान्यता कानून लागू होने के तीन साल बाद खत्म हो जाएगी।
- स्कूलों में अध्यापक अभिभावक संघ बनेंगे, जिनमें अभिभावक और अध्यापक और प्रबंधन होंगे। सभी सदस्यों का 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

- शिक्षा का अधिकार कानून ठीक से लागू नहीं होने या कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन होने की शिकायत का शासन प्रशासन स्तर पर निदान न हो तो आयोग से शिकायत की जानी चाहिए।

<u>शिक्षा का अधिकार कानून में आयोग को अधिकार</u>

कानून की धारा– 31 (1) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण कानून– 2005 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अंतर्गत गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपने मूल कानून में प्रदत्त अधिकारों और कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत भी निम्न कार्य करेंगे

(क) इस कानून के अंतर्गत या अन्य कानूनों में मिले अधिकारों की समीक्षा और पुनर्विचार कर उनके प्रभावशाली ढंग से अमल के लिए उपायों की सिफारिशें करना।

(ख) बच्चों को मिले मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना।

(ग) बाल अधिकार संरक्षण कानून की धारा 15 और 24 में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आवश्यक कदम उठाना।

31 (2) मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून उपखंड (1) की क्लाज सी से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग को वही अधिकार होंगे, जो उसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून की धारा 14 और 24 में मिले हुए हैं।

31 (3) जहां आयोग गठित नहीं हुआ वहां राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार कानून की शिकायतें सुनने के लिए प्राधिकरण गठित करेगी (लागू नही, क्योंकि उत्तराखण्ड में आयोग गठित हो चुका है।)

32 (1) जो बातें धारा 31 में नहीं आई हैं, इनके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होने की शिकायत हो तो वह स्थानीय प्रशासन को लिखित शिकायत कर सकता है।

32 (2) कानून की धारा 32 (1) में शिकायत मिलने पर स्थानीय प्रशासन संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने के बाद तीन महीने के भीतर फैसला करेगा।

32 (3) अगर कोई व्यक्ति प्रशासन के फैसले से सहमत नहीं है तो वह राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष अपील कर सकता है, या फिर अगर आयोग नहीं बना है तो धारा 31 (3) के अंतर्गत बने प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

32 (4) धारा 32 (3) के अंतर्गत की गई अपीलों पर आयोग या प्राधिकरण फैसला करेगा।

34 (1) राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर के राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसके सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। सदस्यों की नियुक्ति उन लोगों में से होगी जिन्हें प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में अनुभव हो और इसी क्षेत्र में काम करने वाले हों।

34 (2) राज्य सलाहकार परिषद का काम राज्य सरकार को शिक्षा अधिकार प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह देना है।

34 (3) सलाहकार परिषद के सदस्यों को भत्तों और अन्य शर्तो का निर्णय सरकार करेगी।

आयोग की ओर से जारी दिशा–निर्देश

शिक्षा का अधिकार कानून प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 21 सूत्रीय दिशा–निर्देश

1. 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हर बच्चे को निकटत्तम पड़ोस* के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार स्कूल में प्रवेश पाने के बाद आठवीं कक्षा पूर्ण होने तक हासिल है, भले ही आयु 14 वर्ष से ज्यादा हो जाय। आठवीं कक्षा तक शिक्षा हासिल करने में बच्चे को ऐसी कोई फीस देने की जरूरत नही, जिसकी वजह से उसकी शिक्षा अधूरी रहने का खतरा हो।
2. अगर 6 वर्ष से ज्यादा आयु होने पर भी बच्चे का स्कूल में प्रवेश नही हुआ है तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। अगर बच्चे को उसकी आयु के अनुसार बडी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उसे अधिकार है कि वह अपने समकक्ष बच्चों के अनुरूप शिक्षा हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाये। ऐसे बच्चे को 14 वर्ष की आयु के बाद भी आठवीं कक्षा की शिक्षा पूरी होने तक शिक्षा का अधिकार है।
3. जिस स्कूल में आठवीं कक्षा तक शिक्षा का प्राविधान नही है, यानि स्कूल पांचवीं कक्षा तक है, तो वहां बच्चे को अन्य स्कूल में दाखिला हासिल करने के लिए टी0सी0 लेने और अन्य स्कूल में प्रवेश पाने का पूरा अधिकार है। जिस स्कूल में प्रवेश पाया जाना है उस स्कूल में किसी भी आधार पर विलम्ब नही किया जायेगा। टी0सी0 देते समय एडवांस स्कूल फीस नही ली जायेगी। टी0सी0 देने में विलम्ब करने वाले स्कूल हैड मास्टर या इंचार्ज पर सेवा शर्तो के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

प्रशासन के लिए–

4. स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ऊपर लिखे दिशा–निर्देशो का अपने क्षेत्र में पालन करवाये। जिला शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह स्कूलो के काम–काज पर निगरानी रखे और स्कूलों का वार्षिक कलेण्डर तय करें। अध्यापकों को कानून के मुताबिक स्कूल में व्यवहार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

स्कूलो–अध्यापकों की जिम्मेदारी–

5. सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी।
6. सरकार से अनुदान पाने वाले स्कूलों** में न्यूनत्तम 25 प्रतिशत छात्रों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी होगी।
7. किसी तरह का सरकारी अनुदान न पाने वाले अल्पसंख्यक कैटेगिरी के स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून के अन्तर्गत 25 प्रतिशत कोटे से छूट दे दी है। 13 अप्रैल, 2012 से उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

8. जिन स्कूलों में प्रथम श्रेणी से पहले प्री–स्कूल शिक्षा का प्राविधान है वहां मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान प्री–स्कूल शिक्षा से लागू होगा।
9. सरकार से अनुदान न पाने वाले स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत प्रवेश पाने वाले कमजोर और वंचित वर्गो*** के 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देना होगा और उन्हें आठवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देनी होगी। जिसकी फीस, पाठय पुस्तकें, गणवेश एवं मध्या भोजन की भरपाई सरकार करेगी, जो कि प्रति बालक सरकारी स्कूल में खर्चे या वास्तविक खर्च में से जो कम होगा, उसके आधार पर तय की जायेगी। दो अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से फीस 1383 रूपये प्रतिमाह और गणवेश पर 400 रूपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त पांचवी कक्षा तक 150 रूपये और उससे ऊपर 250 रूपये पुस्तकें प्रतिवर्ष व मिडे डे मिल पर अधिकत्तम 1165–1547 तक किए गए है।
10. स्कूलों में किसी तरह की कैपीटेशन फीस या बच्चों या उनके माता–पिता या उनके अभिभावकों का किसी तरह का स्क्रिनिंग टेस्ट नही होगा। अगर कोई स्कूल कैपीटेशन फीस लेता है तो उसे ली गयी कैपीटेशन फीस से 10 गुना तक जुर्माना किया जा सकता है।
11. अगर कोई स्कूल किसी तरह के स्क्रिनिंग टेस्ट की पद्वति अपनाता है तो उस पर पहली बार 25 हजार रू0 और दूसरी बार 50 हजार रू0 जुर्माना ठोका जा सकता है। इसके बाद भी शिकायत आती है तो हर बार 50 हजार रू0 तक जुर्माना किया जा सकता है।
12. प्रवेश के लिए जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण कानून 1886 या अन्य किसी मान्य दस्तावेज का आधार मान्य होगा लेकिन आयु का प्रमाण–पत्र नहीं होने के आधार पर स्कूल में प्रवेश नही रोका जा सकता।
13. स्कूल में प्रवेश हासिल करने के बाद किसी भी बच्चे को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक न तो फेल किया जायेगा और न ही स्कूल से निकाला जायेगा (कानून की धारा 16)।
14. स्कूल में किसी तरह की शारीरिक या मानसिक सजा नहीं दी जा सकती। आर0टी0ई0 कानून की इस धारा 17 का उल्लघंन करने वाले अध्यापक पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूल प्रशासन प्रिंसिपल या अध्यापक पर कार्रवाई नही करेंगे तो प्रशासन प्रबंधन पर कार्रवाई करेगा, विद्यालय की मान्यता भी रद्द हो सकती है।

<u>शिक्षा विभाग के लिए–</u>

15. आर0टी0ई0 एक्ट लागू होने के 3 साल बाद (यानि सितम्बर 2012 से) सभी निजी और ट्रस्टों इत्यादि के स्कूलों को इस कानून का पालन करने संबंधी नियम, कायदे अपनाने होंगे और मान्यता का प्रमाण–पत्र लेना होगा। अगर स्कूल आर0टी0ई0 एक्ट के प्राविधानो को नही मानते तो उन्हें मान्यता नही दी जा सकती और सरकार मान्यता वापस ले लेगी। कानून की धारा 18 (3) के तहत मान्यता वापस लिये जाने के बाद स्कूल काम नही कर सकता। इसके बाद भी यदि स्कूल चलता है तो स्कूल चलाने वाले पर 1 लाख रू0 जुर्माना और उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार रू0 जुर्माना वसूल किया जायेगा।

16. गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को छोडकर हर स्कूल को स्कूल प्रबंध समिति का गठन करना होगा जिसमें स्थानीय प्रशासन के चुने हुए प्रतिनिधि, बच्चों के अभिभावक शामिल होंगे। समिति में तीन–चौथाई सदस्य अभिभावक होंगे। कमजोर और पिछड़े वर्ग के अभिभावकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। समिति में 50 फीसदी महिलाएं होंगी। समिति स्कूल की कार्य पद्वति को मॉनिटर करेगी, स्कूल का विकास कार्यक्रम तय करेगी। सरकार से मिलने वाले अनुदान के खर्चे की निगरानी करेगी। प्रत्येक स्कूल में शिकायत पेटिका लगाई जाए, जिसे प्रबंध समिति की बैठक के समक्ष खोला जाय।
17. गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में अध्यापक–अभिभावक संघ बनाए जाएं जिनमें दो–तिहाई सदस्य अभिभावक हों। बैठक हर माह हो। प्रत्येक स्कूल में शिकायत पेटिका होनी चाहिए। जिसे अध्यापक–अभिभावक संघ की मासिक बैठकों के समक्ष खोला जाय।

<u>राज्य सरकार के लिए–</u>

18. स्कूल अध्यापकों का जनगणना, आपदा राहत कार्यो और निर्वाचन संबंधी कार्यो को छोड़कर सरकार किसी अन्य डयूटी पर इस्तेमाल नही करेगी।
19. शिक्षकों की ओर से प्राईवेट टयूशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा।
20. प्रत्येक विद्यालय भवन में पर्याप्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, मध्याहन भोजन हेतु रसोईघर, खेल का मैदान तथा चारदीवारी की अनिवार्यता होगी।
21. प्रत्येक विद्यालय में टी0एल0ई0, पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि की अनिवार्य उपलब्धता होगी।

(नोट– * निकट के स्कूल का अभिप्राय पांचवीं कक्षा तक घर से 01 किमी0 और आठवीं कक्षा तक 03 किमी0। ** सरकार से किसी भी तरह का अनुदान या जमीन या बिल्डिंग बनाने का खर्च या शिक्षा सामग्री या अन्य कोई सुविधा हासिल करने वाले स्कूलों को अनुदान हासिल स्कूल माना जायेगा।

*** वार्षिक 55000 या उस से कम आमदनी को कमजोर वर्ग में रखा गया है। बीपीएल कार्डधारी, अनाथ बच्चे, अनु0, अनु0जनजाति, विकलांग और निशक्त मुफ्त शिक्षा के अधिकारी होंगे।)

सभी शिक्षा संस्थाओं में बच्चो को सजा बंद करने संबंधी उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा–निर्देश

1. सभी बच्चों को अभियान चलाकर सूचित किया जाय कि उन्हें स्कूलो में दी जाने वाली सजा के खिलाफ बोलने और अधिकारियों के ध्यान में लाने का अधिकार है। शिकायत करने के लिये बच्चों का आत्म विश्वास बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि उन्हें सजा को सामान्य गतिविधि के तौर पर स्वीकार नही करना चाहिए।
2. सभी स्कूलो, हॉस्टलों, न्यायिक ग्रहो, शैलटर होम्स और बच्चों के लिये बने अन्य संस्थानो में ऐसा मंच होना चाहिए जहां वे अपनी बात खुलकर कर सकें। इस मामले में संस्थायें गैर सरकारी संगठनो से मदद ले सकती हैं।
3. बच्चो को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिये हर स्कूल में शिकायत पेटिका होनी चाहिए।
4. हर स्कूल में अध्यापक–अभिभावक संघ का गठन हो, जिसकी हर माह बैठक होनी चाहिए। गांवो में अगर अध्यापक–अभिभावक संघ का गठन न हो तो गांव शिक्षा समिति का गठन किया जा सकता है, जो बच्चों की शिकायत पर ध्यान दें।
5. अध्यापक–अभिभावक संगठनो को चाहिए कि वे बच्चों की शिकायत पर बिना विलम्ब त्वरित कार्रवाई करें ताकि ऐसा न हो कि पिटाई करने वाले अध्यापको का मनोबल बढ़ता जाय।
6. अभिभावको और बच्चों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे पिटाई करने वाले अध्यापक के खिलाफ बोल सकें, उन्हें स्कूल में बच्चे की भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव का भय नही होना चाहिए।
7. शिक्षा विभाग में तीनो स्तरो पर (ब्लॉक, जिला और राज्य) एक प्रणाली गठित की जानी चाहिए जिसके तहत बच्चों की शिकायतों पर हुई कार्यवाही की समीक्षा और निगरानी हो सके।

जुवेनाईल जस्टिस एक्ट– किशोर न्याय कानून

1989 में बाल अधिकार कन्वेनशन, 1992 में भारत की ओर से उसकी पुष्टि और 2000 में बाल तस्करी रोकने संबंधी प्रोटोकाल आने के बाद भारत में बच्चों से जुडी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए 1960 और 1980 के जुवेनाईल जस्टिस एक्ट को समाहित करते हुए 2000 में व्यापक जुवेनाईल जस्टिस एक्ट बनाया गया। इस कानून का मकसद देश के सभी बच्चों की देखभाल करना, उन्हें संरक्षण देना, उनके स्वास्थ्य और विकास का ध्यान रखना, उपेक्षित और मां–बाप से अलग हो गए या आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर चुके बच्चों का पुर्नवास करना है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर गृहों के अलावा समेकित बाल सुरक्षा योजना शुरू की गई है।

2000 में बने इस कानून में वर्ष 2006 में संशोधन कर के कार्यरत बच्चों को भी बच्चों की परिभाषा में शामिल किया गया है। इन बच्चों की देखभाल और संरक्षण की ज्यादा जरूरत है। बाल कल्याण समितियां बच्चों की बेहतरी के लिए काम करेगी और जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड अपराधी प्रवृति वाले बच्चों की मदद करेगी।

जुवेनाईल एक्ट की मुख्य धाराएं

धारा (23)	बच्चे या किशोर को मारने पीटने, हमला करने, जानबूझकर उपेक्षित करने या ऐसा अन्य कोई कार्य करने जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक आघात लगे तो ऐसे क्रूर अपराध पर छह महीने की सजा या आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं।
धारा 24(1)	बच्चे से भीख मंगवाने के अपराध के लिए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
धारा 24 (2)	अभिभावक या बच्चे के नियंत्रण वाला कोई व्यक्ति अगर बच्चे को अपराध के लिए उकसाता है या अपराध करवाता है तो उसे एक वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
धारा (25)	बिना डाक्टरी सलाह के बच्चे को मादक पदार्थ देने/खिलाने/पिलाने के लिए तीन वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माना।
धारा (26)	बच्चे को खतरनाक काम धंधे में लगाना, उसे बंधुआ बना कर रखना और उस की कमाई खुद रखने पर तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
धारा (27)	धारा 23, 24, 25 और 26 के अंतर्गत अपराध जमानती होंगे।
धारा (28)	अगर किया गया अपराध पहले से मौजूद अन्य कानूनों की श्रेणी में भी आता हो तो जिस कानून के अंतर्गत सजा ज्यादा होगी, उसके अंतर्गत सजा होगी।

- एक्ट में जुवेनाइल से मतलब Young one यानि अवयस्क से है।

- एक्ट में बच्चे की परिभाषा– जुवेनाइल या बच्चा वह ''व्यक्ति'' जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
- यह कानून उसके लिए है जो कानूनी विवाद में है या बच्चा जिसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है।
- एक्ट के चैप्टर–2 में कानूनी विवाद और चैप्टर–3 में देखभाल और सुरक्षा की जरूरतों से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। चैप्टर–4 में बच्चों के प्रति अपराध करने वालो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

चैप्टर–2

कानून उल्लंघन का आरोपी–

कानून का उल्लंघन होने पर बच्चे को सजा हो सकती है लेकिन उस पर दंड नहीं लगाया जा सकता। बड़ों के जैसे गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ना ही सामान्य कोर्ट में उसकी सुनवायी होगी। उसकी सुनवाई जुवेनाईल कोर्ट में होगी।

चैप्टर–3

किशोर न्याय बोर्ड/किशोर न्यायालय

बच्चे के कानूनी विवाद में होने की स्थिति में ऐसे बच्चे की सुनवायी के लिए जुवेनाइल बोर्ड होगा। जिसमें ऐसे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जायेगा जिसे जे0जे0 एक्ट का अच्छा ज्ञान हो। जुवेनाइल कोर्ट की बोर्ड में दो सामाजिक कार्यकर्ता एक पुरूष और एक महिला होगी जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण कार्य का 7 वर्ष का अनुभव हो। राज्य में सभी जिलो में जुवेनाइल कोर्ट स्थापित हो चुकी है। कानून के अनुसार जुवेनाइल कोर्ट सामान्य कोर्ट में नहीं लगनी चाहिए। आयोग का सभी जिलाधीशों से आग्रह है कि जुवेनाइल कोर्ट के लिए अलग से बंदोबस्त करें।

कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक थाने में CWO यानि बाल कल्याण अधिकारी और प्रत्येक जिले में जुवेनाइल पुलिस यूनिट अधिकारी होगा। बच्चे के कानून उल्लंघन करने पर यही पुलिस बच्चों को लेकर जुवेनाइल बोर्ड के सुपुर्द करेगी। राज्य में सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी और जिलों में एसजेपीयू अधिकारी तैनात होंगे।

जुवेनाइल कोर्ट लगने तक बच्चा बोर्ड सदस्य या निरीक्षण गृह (आब्जर्वेशन होम) में रहेगा जहां बच्चा अंतिम निर्णय तक रहेगा। बच्चे को लॉक अप, पुलिस स्टेशन या जेल में नही रखा जायेगा।

बोर्ड अधिकत्तम 4 माह में निर्णय करेगा अगर जांच इस अवधि में पूरी नही होती तो इससे आगे समय के लिए स्पष्ट कारण सैक्शन 14 के तहत देने होंगे। इस दौरान बच्चे की देखभाल और सुरक्षा पर मुख्य न्यायाधीश या जुडीशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी रहेगी। निर्णय के बाद बच्चे को विशेष गृह (स्पेशल होम) में रखा जायेगा। राज्य सरकारों को आब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

जे0जे0 बोर्ड के काम

- बच्चे के अभिभावक की हिस्ट्री पता करके उनके साथ काउंसलिंग करना। बच्चे को परिवार में भिजवाने की व्यवस्था करना।
- बच्चे के साथ काउंसलिंग करना ताकि वह अपनी गलती का एहसास करे।
- सामुदायिक सेवाओं के लिए आदेश जारी करना।
- 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे या उसके अभिभावक पर दंड देने का निर्णय लेना। किसी भी बच्चे को कारावास नहीं होगा और कोई दंड उसे सैक्शन 19 के तहत अयोग्य नहीं घोषित करेगा।
- किसी विशेषज्ञ को बच्चे के व्यवहार बदलाव के लिए अधिकत्तम 3 वर्ष के लिए नियुक्त करना।
- अंतिम आदेश किसी विशेष गृह (स्पेशल होम) की सुपुर्दगी का देना। यह संस्थान उपयुक्त होना चाहिए।
- मीडिया को बच्चे के हित के अलावा उसकी पहचान नहीं देनी चाहिए।
- कस्टडी में सामान्य दुर्व्यवहार के लिए 6 माह की सजा सैक्शन 23 के तहत है।

सम्प्रेक्षण गृह (Observation Homes)–

इन गृहों में कानून का उल्लंघन करने के विवाद में आए बच्चों को पर्याप्त आवासीय देखरेख और संरक्षण के साथ रखा जायेगा। ये बच्चे मूल धारा में आ सकें इसके लिए इनके साथ काउंसलिंग की जायेगी।

(राज्य में देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी गढवाल, हरिद्वार, ऊधमसिहं नगर, हल्द्वानी, नैनीताल और अल्मोड़ा में सम्प्रेक्षण गृह है। प्रत्येक सम्प्रेक्षण गृह की क्षमता 30 है। इसके अतिरिक्त किशोरियों के लिए केदारपुरम–देहरादून, नरेन्द्रनगर–टिहरी गढवाल, कोटद्वार–पौडी गढवाल और हल्द्वानी–नैनीताल में भी जिला शरणालय एवं सम्प्रेक्षण गृह किशोरी चल रहे हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 25 है।)

विशेष गृह (Special Homes)–

कानूनी विवाद में आए ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें लम्बे समय तक पुनर्वास (स्थिति से उबरने) और संरक्षण की जरूरत है, ऐसे गृहों में रहेंगे। राज्य में अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून को छोड़कर बाकि जिलो में अभी विशेष गृह नहीं है।

(राज्य में किशोरों के लिए रोशनाबाद–हरिद्वार और किशोरियों के लिए अल्मोडा में विशेष गृह है। रोशनाबाद–हरिद्वार की क्षमता 25 और अल्मोडा की क्षमता 100 है।)

(वैश्यालयों से मुक्त करवायी गई महिलाओं के लिए अल्मोडा में विशेष सरंक्षण गृह में 100 की क्षमता है।)

जे0जे0 एक्ट में ही सुरक्षा और देखभाल से वंचित बच्चों के बारे में व्यवस्था करने के प्रावधान हैं। इसी के अंतर्गत हर जिले में बाल कल्याण समितियां (CWC) बनाने का प्रावधान है। कमेटी में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं जिनमें एक महिला और एक पुरूष ऐसे होते हैं जो बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हों।

कमेटी निम्न तरह के बच्चों की देखभाल का बंदोबस्त करेगी।

1– अनाथ बच्चे।

2– छोड़े (Abandoned) गये या अवांछित (Surrender) बच्चे।

3– मानसिक या शारीरिक विकलांग।

4– बीमार या खतरनाक रोगों से पीड़ित बच्चे।

5– किसी भी तरह से प्रताड़ित या सताये हुए बच्चे।

6– बच्चे जो किसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के शिकार हों या युद्व से पीड़ित हों।

बच्चों को कौन समिति के सामने लायेगा

1– कोई भी पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई में से कोई भी।

2– कोई सरकारी कर्मचारी।

3– कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता।

4– चाईल्ड लाईन या कोई भी एनजीओ।

5– कोई भी नागरिक।

6– या बच्चा खुद भी समिति या समिति के किसी सदस्य के सामने जा सकता है।

बाल कल्याण समिति के कार्य और अधिकार

- समिति अपने सामने पेश किये गये बच्चे के मामले में संज्ञान लेगी।
- समिति के सामने पेश किये गये मामलों पर फैसला लेगी।
- राज्य सरकार, राज्य बाल संरक्षण इकाई या जिला संरक्षण इकाई की मदद से ऐसे बच्चों तक पहुंचेगी, जो खुद विकट परिस्थितियों के कारण समिति के सामने पेश नही हो सकते।
- बच्चे की सुरक्षा और उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दो की जरूरी जांच करेगी।
- बाल कल्याण अधिकारी या प्रोबेशन अधिकारी या एनजीओ को भी सामाजिक जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दे सकती है।

- बच्चे को तुरंत शैल्टर देने सहित उसकी देखभाल व सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
- बच्चे के पुनर्वास के लिए उसके माता–पिता, या उसके अभिभावक, या किसी उचित व्यक्ति या उचित संस्था को निर्देशित कर सकती है।
- जरूरतमंद बच्चे को बाल गृह में रखने के लिए बाल गृह के इंचार्ज को निर्देशित करेगी।
- समिति उसके सामने पेश किये गये हर बच्चे के संबंध में पूरा रिकार्ड रखेगी।
- बच्चे को बालमित्र वातावरण मुहैया करवायेगी।
- राज्य सरकार को उन संस्थाओं के संबंध में अनुशंसा भेजेगी जो बच्चे के देखभाल और संरक्षण के लिए उचित संस्थान हों।
- ऐंसे व्यक्तियों की भी शिनाख्त करेगी जो बच्चों की देखभाल के लिए उचित हो।
- कानूनी तौर पर गोद लेने संबंधी योग्य बच्चों की घोषणा करेगी।
- जिला बाल कल्याण समिति अपने क्षेत्र के अंतर्गत खोये हुए बच्चों की जानकारी रखेगी और उस पर फॉलोअप कार्यवाही करती रहेगी।
- देखभाल और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों के संबंध में जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के साथ तारतम्य बनायेगी।
- गोद दिये गये या किसी संस्थान में देखभाल और संरक्षण के लिए रखे गये बच्चों की तीन महीने में कम से कम एक बार संस्थान में जाकर निगरानी करेगी ताकि बच्चे की हालत की समीक्षा हो सके। इस संबंध में राज्य सरकार को जरूरी सुझाव भी देगी।
- बच्चों से संबंधित संस्थानों की मॉनेटरिंग करेगी ताकि बच्चों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या उनका शौषण न हो रहा हो।
- जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार की मदद से बच्चों की देखभाल और संरक्षण के क्षेत्र मे काम कर रहे पुलिस के बाल कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग और अन्य एजेन्सियों के साथ तालमेल बनायेगी।
- बच्चे के संबंध में किसी भी तरह की सामाजिक जांच, उसके पुर्नवास आदि के लिए कॉरपोरेट सैक्टर और एनजीओ के साथ सम्पर्क बनायेगी।
- इस तरह के सुझाव बक्से लगायेगी जिससे बच्चों और वयस्कों से बच्चों के संरक्षण के संबंध में जरूरी सुझाव आ सके।
- जरूरतमंद बच्चों को चिल्ड्रन होम में भेजेगी, जहां वो पुनर्वास होने तक या 18 वर्ष पूरे होने तक रहेंगे या जांच करवाकर मां–बाप के सुपुर्द करेगी, अगर वे बच्चे को रखने के लिए तैयार न हो।

- पुनर्वास और बच्चे का सामाजिकीकरण जे0जे0 एक्ट का अनुश्रवण। जिसके तहत दत्तक सेवा, फोस्टर कियर, स्पांसर करना या आफ्टर केयर की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी है।

बाल गृह (Children's Home)

राज्य सरकार खुद या किसी गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर जरूरत मंद बच्चों के लिए बाल गृह अर्थात चिल्ड्रनस होम बनायेगी। सभी बाल गृह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की धारा 34 और इसी कानून के नियम 71 के तहत रजिस्ट्रर्ड करवाने होंगे। सभी चिल्ड्रनस होम को नियम 70 का पूर्णतः पालन करना होगा। चिल्ड्रन होम की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों के बारे में समय–समय पर बाल कल्याण समिति को अवगत कराते रहें।

- 10 साल से नीचे के बालक/बालिकायें एक बाल गृह में रखे जा सकते है लेकिन 5 से 10 साल आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिये अलग सुविधाओं का इंतजाम करना होगा।
- हर बाल गृह को 5 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी होंगी।
- 10 से 18 साल आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए अलग–अलग बाल गृह बनाने होंगे।
- 10 से 18 वर्ष के बालक/बालिकाओं को अलग–अलग दो ग्रुपों 10 से 15 और 15 से 18 के बीच बांटा जायेगा।

सभी बाल गृहों में बच्चों के लिए प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाल गृहों की कार्यप्रणाली की समय–समय पर समीक्षा करेंगे। संस्थाओं में इस तरह के बच्चों को रखने के दुष्परिणाम भी हैं जैसे भावनात्मक व संवेदनशील संबंधों का अभाव, सुरक्षा की भावना में कमी, गंदगी और सही वातावरण का अभाव, असुरक्षा का भाव पैदा होना जिससे उनमें घातक परिवर्तन होते हैं। आयोग की सरकार से सिफारिश है कि चिल्ड्रन होम की व्यवस्था के लिए समाज सेवकों का सहयोग लिया जाए।

(राज्य में 10 वर्षीय बालक/बालिका के लिए देहरादून में 25 की क्षमता और अल्मोडा में 100 क्षमता के बाल गृह हैं।)

(राज्य में 11 से 18 वर्ष आयु तक की बालिकाओं के लिए देहरादून और अल्मोडा में दो बालिका गृह है। दोनो की क्षमता 50–50 है।)

(राज्य में 11 से 18 वर्ष आयु तक की बालकों के लिए रोशनाबाद–हरिद्वार में 100 की क्षमता वाला बाल गृह मौजूद है।)

(निराश्रित और गरीब बालिकाओं के लिए बागेश्वर में आश्रम पद्वति का आवासीय स्कूल है जिसकी क्षमता 100 है।)

आवास गृह (Shelter Home)–

अस्थायी रूप से दिन या रात में ऐसे बच्चों को आश्रय देंगे जिन्हें इन्ही समयों पर आवास की जरूरत है। इन आवास गृहों को विशेषज्ञ सक्षम स्वयंसेवी

संगठनों की देख रेख में संचालित किया जायेगा। कूड़ा बीनने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे, पिता–माता विहीन बच्चे इन अल्पावधि आवास गृहों में रह सकेंगे।

चैप्टर–5

(Adoption) यानि दत्तक प्रावधान

- कोई भी अवांछित बच्चा बाल कल्याण समिति को सरेंडर किया जा सकता है और कमेटी 2 माह के नोटिस के बाद बच्चे को दत्तक देने के लिए आजाद है। मां–बाप का 2 माह बाद कोई अधिकार नहीं रह जायेगा, जब बच्चा दत्तक ग्रहण हो गया हो।
- दत्तक लेने के लिए जिला कोर्ट में आवेदन किये जाते हैं।
- कमेटी अनाथ, छोड़े हुए और समर्पित किये बच्चों को दत्तक दे सकती है। इसके लिए दत्तक एक्सपर्ट एजेंसी के साथ कमेटी को कार्य करना होगा।
- अगर बच्चा समझ सकता हो तो उसे किसी को दत्तक देने से पहले पूछा जाना या सहमति लेना अनिवार्य है। दत्तक दिये बच्चे की मानटरिंग दत्तक एक्सपर्ट ऐजेंसी करेगी।
- हिंदू व्यक्ति हिंदू बच्चे को ही गोद लेगा। बाकि किसी भी गार्जियन को बाध्यता नहीं।
- गोद लिया बच्चा कमेटी को वापिस किया जा सकता है मगर उसका सम्पत्ति में फिर भी अधिकार रहेगा।

धात्री निवास (Fosterare)

- जहां कुछ समय के लिए अनाथ या बेसहारा बच्चे आकर नहा धो सके या खाना खा सकें या रह सकें।
- या किसी भी परिवार में भी कुछ समय के लिए रखेंगे जब तक उसे दत्तक नहीं मिल जाता। इस बीच वह असली पिता–माता से भी मिल सकता है।

बाल संरक्षण इकाईयां

विशेष जरूरत वाले बच्चों जैसे मानसिक, शारीरिक रूप से अक्षम, एच.आई.वी. एडस ग्रसित, नशीली दवा के आदि बच्चों के लिए संस्थागत विशेषज्ञ सेवाएं हर जिले में प्रदान की जायेगी।

सेवाएं कैसे मिलेंगी – प्रत्येक जिले, ब्लाक और ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण इकाईयों का गठन होना चाहिए।

जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई– इकाई बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ मिलकर संरक्षण के लिए काम करेगी और ऐसे

बच्चे जिनका संरक्षण, सुरक्षा खतरे में होने की सम्भावना है उन्हें स्थितियों से उबारने के लिए सभी विभागों के समन्वयन से कार्य करेगी।

ब्लॉक और ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण इकाई– प्रत्येक ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में, जिला बाल संरक्षण समिति का सदस्य, समेकित बाल विकास योजना का एक सदस्य और शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के एक–एक सदस्य इकाई में होंगे।

इसी तरह ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, दो बाल संगठनों के प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी, शिक्षिका, आशा, स्कूल का शिक्षक और गांव के सम्मानित नागरिक इकाई का गठन करेंगे। इनके द्वारा सभी तरह से बच्चों की समस्या निदान की प्रक्रिया और बाल विकास योजनाओं का समन्वयन किया जायेगा।

यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012

बच्चों से होने वाले यौन अपराधों को लेकर मई 2012 में संसद ने नया कानून पारित किया। इससे पहले यौन अपराधों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत ही दर्ज किया जाता था। भारतीय दंड संहिता में हर तरह के यौन अपराधों को दर्ज करने की अलग–अलग धाराएं नहीं थी। खासकर बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों और व्यस्क यौनाचार में कोई अंतर नही था। इस कानून में 18 वर्ष तक बच्चों को यौनाचार ओर प्रोनोग्राफी से संरक्षण दिलाया गया है। बच्चे के संरक्षण वाले व्यक्ति, सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी की ओर से यौन अपराध को अत्यन्त गंभीर माना जाएगा।

राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है कि वह कानून को लागू करवाने की मानिटरिंग करेंगे।

मुख्य धाराएं

धारा (3) पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट करने पर कम से कम 7 वर्ष और अधिकत्तम उम्र कैद व धारा (4) के अंतर्गत जुर्माना।

धारा (5) एग्रीवेटिड पेनेट्रेटिव असाल्ट पर कम से कम दस वर्ष और अधिकत्तम उम्र कैद व धारा (6) में जुर्माना।

धारा (7) सेक्सुअल असाल्ट पर कम से कम तीन वर्ष और अधिकत्तम पांच वर्ष कैद और धारा (8) में जुर्माना।

धारा (9) एग्रीवेटिड सेक्सुअल असाल्ट पर कम से कम 5 वर्ष, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और धारा (10) में जुर्माना।

धारा (11)सेक्सुअल हरास्मेंट पर तीन वर्ष कैद और धारा (12) में जुर्माना।

धारा (13) पोनोग्राफी के लिए बच्चे के इस्तेमाल पर पांच वर्ष की कैद और जुर्माना, दूसरी बार यही अपराध साबित होने पर सात वर्ष कैद और धारा 14 (1) में जुर्माना।

कानून में इन अपराधों के अंतर्गत मुकदमें के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमें के हर स्तर पर बच्चे के हितों की सुरक्षा की जा सके।

- बच्चे का बयान उसके घर पर या उसकी ओर से तय जगह पर रिकार्ड होगा। जहां तक संभव हो कम से कम सब–इंस्पेक्टर स्तर की महिला पुलिस कर्मी बयान रिकार्ड करेगी।
- किसी भी बच्चे को किसी भी कारण पुलिस स्टेशन में रात को नहीं रखा जाएगा।
- बच्चे के बयान की रिकार्डिंग के समय पुलिस कर्मी वर्दी में नहीं होगा।
- बयान वही दर्ज होगा, जो बच्चा बोलेगा।
- जरूरत पड़ने पर भाषा अनुवादक उपलब्ध करवाया जाएगा।

- बच्चा अपंग हो तो उसके अनुसार विशेषज्ञ सहायक उपलब्ध होगा ताकि संवाद ठीक से हो सके।
- बच्चे के माता–पिता या बच्चे के विश्वास वाले व्यक्ति की मौजूदगी में बच्चे की डाक्टरी जांच होगी।
- अगर प्रभावित बच्चा बालिका है तो डाक्टरी जांच महिला डाक्टर करेगी।
- मुकदमें की सुनवाई के दौरान बच्चे को लगातार ब्रेक मिलनी चाहिए।
- बच्चे को बार–बार शिनाख्त के लिए नहीं बुलाया जाय।
- बच्चे से उत्तेजित या अपमानजनक सवाल नही पूछे जाएं।
- केस की सुनवाई बंद कमरे में होगी।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

- अपराध से बेगुनाही के सबूत की जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी।
- कानून का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए छह महीने की सजा का प्रावधान है।
- अगर गलत शिकायत बच्चो के खिलाफ की जाती है तो सजा एक साल की होगी।
- मीडिया सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बच्चे की शिनाख्त जाहिर नही कर सकेगा। मीडिया अगर ऐसा करता है तो छह महीने से एक वर्ष तक की सजा हो सकती है।
- बच्चे की तरफ से सबूत 30 दिन में दर्ज किए जाएंगे।
- विशेष अदालत एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करेगी।
- पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद बच्चे को शिकायत के मुताबिक अस्पताल या शैल्टर होम में संरक्षण दिया जाना चाहिए। पुलिस तुरंत ही मामले की जानकारी जिले की बाल कल्याण समिति को देगी।

बाल मजदूरी के विरुद्ध कानून

अब बाल श्रम पूरी तरह कानूनन अपराध है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत बच्चे को इस तरह परिभाषित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नही की है। जुवेनाईल जस्टिस एक्ट (किशोर न्याय अधिनियम) 2000 के तहत किसी भी कानूनी क्रियान्वयन के लिए 18 वर्ष की आयु से कम का कोई भी व्यक्ति इस दायरे में आता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे से जोखिम भरा काम नही करवाया जा सकता था। काम के घंटे भी निर्धारित थे, जिसका उल्लंघन हो रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्वता के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अब 14 वर्ष की आयु तक बाल श्रम पर पूरी तरह रोक का फैसला कर लिया है।

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में बच्चे की उम्र का बंधन नहीं है। अभियोग निर्धारित करने के लिए उसके शोषण और इस कानून के अन्तर्गत अर्थात दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर यह कानून लागू होता है।

केन्द्रिय मंत्रिमंडल ने बाल श्रम को रोकने के लिए 28 अगस्त 2012 को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से किसी तरह का श्रम करवाने का पूरी तरह का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल का यह फैसला 2012 में ही कानून की शकल ले लेगा। 1986 के बाल श्रम कानून में इस ऐतिहासिक संशोधन के बाद 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों से भी जोखिम भरा काम नही करवाया जा सकेगा। बाल श्रम से जुड़े अपराध को संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है। बाल श्रम करवाने पर तीन साल की कैद और पचास हजार रू0 तक जुर्माना होगा। इसके अतिरिक्त बाल श्रम से छुडाए गए बच्चे के पुनर्वास की भी व्यापक व्यवस्था की गयी है। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में संबंधित विभागों को दिशा–निर्देश दिये हैं जिन्हें आप आगे के पृष्ठों पर देखेंगे।

बाल श्रम को कैसे रोकें, सीधी कार्रवाई– कब, क्या, कैसे

अगर आपके इलाके, क्षेत्र, जिला अथवा राज्य में बाल श्रम हो रहा हो। तो सबसे पहले पुलिस को सूचना देकर बुलाया जाए– हर पुलिस थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी तैनात होता है। पुलिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2000 के तहत मालिक (नियोक्ता) के खिलाफ धारा 26 तथा 23 के तहत तुरन्त कार्यवाही करेगी। इन धाराओं में किसी बच्चे अथवा किशोर को किसी भी खतरनाक धंधे में नौकर अथवा बंधक रखा हो, अथवा उसकी मजदूरी नही दी हो, जिसमें बाल शोषण कार्य में सजा का प्रावधान है दोनों ही अधिनियमों (बधुंआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम तथा जुवेनाईल (किशोर) न्याय अधिनियम 2000) के अन्तर्गत यह अपराध जांच योग्य है। दूसरा मतलब है कि पुलिस को दोनों ही मामलों का केस दर्ज करना होगा।

बाल शोषण के मामले में उम्र कोई बंधन नही होता है, जुविनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 26 उन सभी बच्चों पर लागू होती है जो 18 वर्ष से कम हैं। किसी बच्चे के डील डौल से उसकी उम्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उम्र का प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने पर पुलिस द्वारा बच्चे का आयु परीक्षण सरकारी चिकित्सक द्वारा कराया जाना चाहिए।

मान लो चिकित्सकीय जांच में बच्चे की आयु 16 वर्ष बताई गई है, तो क्या करें ?

अगर हड्डी के घनत्व का माप पद्धति द्वारा सामान्यतः परीक्षण किया गया है तो इसमें दो वर्ष का अंतर हो सकता है । अतः अनुमान का तर्क शोषित के पक्ष में होगा। इसके बाद भी अगर मतभेद हों तो शोषित को न्यूनतम वेतन (उदाहरण स्वरुप दिल्ली में अकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 133 रूपये प्रतिदिन और उत्तराखण्ड में 112 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी है जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग है) नहीं प्राप्त होने पर पुलिस बंधुआ उन्मूलन कानून 1976 के तहत प्रावधानों का उपयोग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार पी0यू0डी0आर0 बनाम भारत सरकार 1982 3 एससीसी 235 पैराग्राफ 256. 260 "जहां एक व्यक्ति द्वारा अपने श्रम अथवा सेवाओं को दूसरे व्यक्ति को बेचा जाता है और वह मूल्य अगर न्यूनतम मजदूरी से कम है। तब वह श्रम अथवा सेवा निश्चित रूप से बेगार की परिभाषा में आती है। जैसा कि भारतीय संविधान की धारा 23 में उल्लिखित है।

जब बाल मजदूर काम करते हुए पकडा जाता है तो नियोक्ता (मालिक) कहता है कि बच्चा स्वयं ही उसके पास काम मांगने आया था और मजदूरी तय होने पर ही कार्य करने को तैयार हुआ ? तो इसका जवाब है कि–

बच्चा कानूनन किसी भी तरह के करार के लिए अधिकृत नहीं है। अतः बच्चे की सहमति, का कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा अगर बहला फुसलाकर या किसी भी तरह का लालच देकर अभिभावकों से भी कोई सहमति ली गई है, तो यह सहमति भी जानकारी रहित कहलायेगी क्योंकि अभिभावक स्वयं अपने अधिकारों से अनजान हैं ।

ऐसे केस में दलील सामने आती है कि बच्चे के माता पिता बहुत गरीब हैं, वे स्वयं उसे नियोक्ता के पास ले गए और नियोक्ता कहता है कि वह उसके अपने बच्चे जैसा है तथा वह इसकी सम्पूर्ण देखभाल करता है अगर वह इसे नहीं रखता या रखेगा तो वह भूखा मर जायेगा ? तो ऐसे में नियोक्ता (मालिक) से पूछिये कि अगर वह इतने शुभचिंतक हैं तो क्यों नहीं उसके अभिभावकों को नौकरी पर रख लेते हैं या फिर बच्चे को ही न्यूनतम वेतन क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि कोई भी नियोक्ता (मालिक) कभी भी बाल श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी नहीं देता और केवल अपने स्वार्थ के लिए नौकरी पर रखता है क्योंकि वही सबसे सस्ते श्रम का एकमात्र विकल्प है। अब मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चे का स्कूल जाना सरकार और अभिभावक दोनो की जिम्मेदारी है। इसलिए 14 वर्ष तक बच्चा नौकरी पर नही रखा जाना चाहिए। क्या मालिक ने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाया है। अगर नही तो वह अपराधी है। शिक्षा का अधिकार कानून के बाद अब यह जरूरी हो गया था

कि बाल श्रम कानून में परिवर्तन किया जाए। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल में फैसला हो चुका है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को बाल श्रम पर नही रखा जा सकेगा।

आपरेशन के बाद

पुलिस ने अपना काम बखूबी किया । बाल श्रमिक को मुक्त करा दिया । अब क्या किया जाये ? अब बच्चे का बयान लिया जाये। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि बयान लेते समय नियोक्ता (मालिक) उपस्थित न रहें क्योंकि अधिकतर बच्चे उक्त कार्यवाही से बहुत डरे हुए होते हैं या फिर नियोक्ता द्वारा उन्हें धमकाया भी जा सकता है । यह भी ध्यान रखा जाये कि बच्चा अनावश्यक रूप से पुलिस थाने में ना रहे। अब बच्चा शीघ्र ही उसके अभिभावकों को सौंप दिया जाये। अगर वे उपस्थित हैं तो बच्चा बाल कल्याण समिति या समिति के सदस्य के सुपुर्द किया जाए। हर जिले में बाल कल्याण समितियां मौजूद हैं। कल्याण समिति को यह अधिकार है, कि वह बच्चे को किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसका संरक्षण तब तक के लिए सौंप सकती है जब तक कि उसे उसके अभिभावकों के सुपुर्द न कर दिया जाये। बाल कल्याण समिति के अभाव में डी.एम/एस.डी.एम बच्चों को किसी के संरक्षण में दे सकते हैं। बच्चे का पुनर्वास हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। बाल कल्याण समिति किसी भी सरकारी/गैर सरकारी बाल गृह में रखने का आदेश दे सकती है।

पुनर्वास

बाल श्रमिक के पुनर्वास की प्रक्रिया में वैधानिक, आर्थिक भरपाई हो तथा यह प्रक्रिया संस्था आधारित होनी चाहिए। बाल श्रमिक को मुक्त करने के तुरंत पश्चात, (अगर वह बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत किया गया है) मुक्ति प्रमाणपत्र जिलाधिकारी/ एस0 डी0 एम0 द्वारा जारी किया जायेगा, जिसके द्वारा अंतरिम सहायता के रूप में एक हजार रूपये शोषित को दिये जायेंगें। मुक्ति प्रमाणपत्र द्वारा पीड़ित 20 हजार रूपये पुनर्वास पैकेज प्राप्त करने का अधिकारी होता है तथा साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण एवं गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम की योजनाओं का लाभार्थी भी होगा।

उप जिलाधिकारी द्वारा राज्य के रेजीडेन्ट कमिश्नर अथवा मुख्य सचिव को भी लिखा जा सकता है, कि बच्चे को सुरक्षित तरीके से परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था करें अथवा किसी कानून नियामक प्राधिकरण को भी आदेश दे सकते हैं कि वे उस बच्चे को उसके अभिभावक को सुरक्षित सौंपे।

बच्चे का पुनर्वास तथा उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य बच्चे के आश्रयगृह या बालगृह में रखने से ही प्रारंभ हो जायेगा। यद्यपि बच्चा अपनी 18 वर्ष की उम्र तक किसी बालगृह में रह सकता है या जब तक उसे उचित पुनर्वास न प्राप्त हो जाये। मगर बच्चे को किसी संस्था संचालित गृह में तीन वर्ष से अधिक भी नहीं रखा जा सकता है। बाल श्रमिकों के लिए प्रत्येक जिले

में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष विद्यालय (NCLP) चलाये जा रहे हैं। ऐसे बच्चों का दाखिला इन विद्यालयों में करवाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

अपहरण/बाल व्यापार

कभी बच्चों को अगवा कर लिया जाता है या बहला फुसला उन्हें परिवार से दूर ले जाया जाता है, फिर उन्हें बेच दिया जाता है। यहां अपहरण करने वाला और उसकी खरीददारी करने वाला दोनों ही कानून की नजर में अपराधी है। किसी व्यक्ति को काम के नाम पर, किसी भी प्रकार के शोषण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना। वह धमकी या बलपूर्वक किया जाये या किसी दबाव, धोखा, ओहदे के बल पर खरीद/बेचकर या किसी लाभ का लालच दकर किया जाये, मानव व्यापार कहलाता है।

बाल श्रम विभाग को बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उतराखण्ड के दिशा–निर्देश

श्रम विभाग के लिए निर्देश–

1. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 के तहत बाल श्रमिकों का चिन्हिकरण, अवमानना, अभियोजन, मुलजिम ठहराये जाने वालों की संख्या आदि मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।

2. एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मुकदमें 1997, 3SCC699 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर राज्य में मालिको/नियोक्ताओ पर लगाए गए आर्थिक दण्ड पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट तैयार करना।

3. एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मुकदमें के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर राज्य में मालिको/नियोक्ताओं से कुल कितनी धन राशि आर्थिक दण्ड के रूप में वसूली गयी।

4. एक ऐसी चाईल्ड लाइन बनाना जहां पर बाल श्रम से संबंधित शिकायतों को आम जनता दर्ज करा सके तथा उस पर स्थानीय पुलिस की मदद से तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

5. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 की धारा 3 एवं 14 में दिये गए निर्देशों को संक्षेप में सभी रेलवे स्टेशनों, आवागमन के सार्वजनिक स्थानों एवं उन सभी संदिग्ध जगहों पर जहां से बाल व्यापार के लिए आवागमन होता है पर, स्थानीय एवं अंग्रेजी भाषा में लिखें जाएं।

6. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तर्ज पर, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मंजूरी दी है, बाल श्रम के पूर्ण खात्मे के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार किया जाए जो कि समयबद्ध हो और उसमें निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जाए–

- जिन क्षेत्रों से बाल मजदूरों के लाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है उस पर लगातार नजर रखी जाए।
- यदि बच्चे काम करते हुए पाए जाएं और उनकी संख्या काफी ज्यादा हो तो संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस विभाग से तत्काल संपर्क कर 24 घंटे के भीतर एक कार्यबल के साथ उनको मुक्त कराने के लिए छापामार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि बाल श्रमिकों की संख्या कम हो तो विभागीय सहयोगियों व पुलिस की मदद से उनको मुक्त कराने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

- बाल श्रम से मुक्ति के लिए छापामार कार्यवाही की समग्र योजना बनाई जानी चाहिए तथा छापामार कार्यवाही के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं दुकान निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति और उनकी सक्रियता सुनिश्चित की जाए।

- यदि बाल श्रम कानून (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 की धारा 3 यहां लागू हो तो उसके निर्देशानुसार मालिकों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा यदि धारा 3 लागू नही होती है तो इस कानून की धाराओं 7,8,9,11,12 और 13 के अर्न्तगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- बच्चा जिस काम को कर रहा हो यदि वह खतरनाक किस्म के कामों की श्रेणी में नही आता हो तो, अनैतिक रूप से काम कराने वाले मालिक/नियोक्ता के चंगुल से बच्चे को मुक्त करवाकर उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए जिससे कि अवांछनीय तरीके से बाल मजदूरी करवाने पर रोक लग सके तथा बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जा सके।

- मुक्त कराए गए बच्चे से प्यार से बात करके उसके बारे में समग्र जानकारी इकठ्ठा कर उसे लिपिबद्ध किया जाए तथा उसकी एक प्रति पुलिस विभाग को भी दिया जाए। मालिक/नियोक्ता के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर उसके बयान लिए जाए, इस मामले में यदि आवश्यक हो तो टास्कफोर्स की भी मदद ली जाए।

- बच्चे से बात करने के दौरान यदि यह पता चले कि मालिक/नियोक्ता द्वारा बच्चे के माता–पिता को अग्रिम (एडवांस) रूप से अथवा कर्ज के रूप में कुछ धनराशि दी गयी है तो–– बच्चे से जबरिया/बंधुआ बाल मजदूरी करवाने की घोषणा करने के संदर्भ में तत्काल जिलाधिकारी को लिखा जाए तथा आयुक्त के माध्यम से इसकी सुचना सरकार को भी दी जाए।

- मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की देख–रेख पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तथा जिस बाल गृह में उन्हें भेजा जाए वहां उनके खाने, पीने का साफ पानी व अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

- किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 2(क) में विशेष रूप से निर्दिष्ट परिभाषा के अनुसार "यदि व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उसे बच्चा ही माना जाना चाहिए।" इसलिए छापामार कार्यवाही के दौरान यदि श्रमिक की उम्र 14 वर्ष से अधिक हो तो भी उसे मालिक/नियोक्ता के चंगुल से मुक्त कराकर पुलिस को सौंपना चाहिए।

- एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कानूनी कार्यवाही के तहत मालिक/नियोक्ता से 20 हजार रूपये वसूले जाए तथा उस धनराशि को, मूल रूप से बच्चा जिस जिले का रहने वाला है उसे उस जिले से संबंधित बाल कल्याण कोष में जमा किया जाएगा।

- उच्च स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो कि जिले स्तर पर गठित टास्कफोर्स और छापामार टीम का हिस्सा हो।
- सामुदायिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत बनाया जाए जिससे कि स्कूल न जाने वाले बच्चों, कार्यस्थलों, दलालों, ठेकेदारों एवं मालिकों/नियोक्ताओं पर नजर रखी जा सके।
- मालिकों/नियोक्ताओं के खिलाफ निम्नलिखित कानूनों एवं नियमों (जहां कहीं यह लागू होता हो) के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए –

  1. दिल्ली, शॉप एण्ड स्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, 1954
  2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
  3. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961
  4. फैक्ट्रि एक्ट, 1948
  5. इंटरस्टेट माईग्रेण्ट वर्कमेन (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेन्ट एण्ड कंडिशन ऑफ सर्विसेस) एक्ट, 1979
  6. कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन) एक्ट, 1970

यदि कोई भी मुक्त बाल मजदूर जो बंधुआ मजदूरी का शिकार हो अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 या किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 अथवा या अन्य कोई धारा जो लागू होती हो तो इन मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की होगी।

बाल श्रम कानून (प्रतिषेध एवं नियमन) 1986 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि 14 वर्ष तक का कोई बच्चा Scheduled व्यवसाय एवं प्रक्रिया में कार्यरत है तो उसे मुक्त कराया जा सकता है लेकिन उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है तो इस कानून के तहत बच्चे को मुक्त नही कराया जा सकता है।

हालांकि किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, 14 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर लागू होगा तथा यह उन बच्चों पर भी लागू होगा जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम हो तथा वे Non Scheduled अनुसूचि व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत है। इसी के साथ–साथ ये बच्चे किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 (यदि लागू होता हो) के तहत भी निर्दिष्ट होंगे और दिल्ली एक्शन प्लान की तरह जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बनाया गया है बाल श्रम कानून 1986 भी लगाया जा सकता है।

आगे स्पष्ट किया जाता है कि 20 हजार रूपये जुर्माने की वसूली जो कि एम.सी. मेहता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है की वसुली के लिए नियोक्ता के खिलाफ अभियोजन का इंतजार नही किया जाएगा। आगे यह भी कहा गया है कि यह राशि, राजस्व में बकाए के रूप में मुक्त बाल मजदूर द्वारा प्राप्त किया जाएगा और उसका उपयोग वह 14 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद पुनर्वास के लिए करेगा।

समाज कल्याण/महिला एवं बाल कल्याण विभागों को बाल श्रम कानून को लागू करवाने के बावत निर्देश

1. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 62(अ) के अनुसार प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण ईकाई के अर्न्तगत बाल संरक्षण समिति के गठन को सुनिश्चित किया जाए।

2. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार जिला स्तर पर अथवा कम से कम मण्डलीय स्तर पर बाल गृह बनाने की आवश्यकता है।

3. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 37 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार जिले स्तर पर अथवा कम से कम मण्डलीय स्तर पर आश्रय–घर की आवश्यकता है।

4. निम्नलिखित प्रक्रियाओं के तहत बच्चे के पुनर्वास एवं सामाजिक रूप से आत्मसात कराने हेतु स्पष्ट कार्ययोजना एवं दिशा–निर्देश बनाएं जाएं –
    - Adoption
    - Foster care
    - Sponsorship
    - Aftercare Organization as per sec 41,42,43,44,of Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2000 respectively

5. सभी बच्चों की देख–भाल एवं उनके संरक्षण विशेष तौर पर बाल श्रमिकों के लिए जिला स्तर पर गठित टास्कफोर्स के साथ ताल–मेल रखने के साथ–साथ पुलिस विभाग, श्रम विभाग के अलावा उन सभी एजेन्सियों से जो कि बच्चों की संरक्षण के लिए जवाबदेह है के साथ बाल संरक्षण ईकाई की मदद से समन्वय स्थापित किया जाए।

6. बच्चे के संरक्षण और देख–भाल के लिए सौंपे जाने के बाद इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि बच्चों को रहने, खाने, कपड़े, सुरक्षा आदि का पर्याप्त इंतजाम या नही।

7. बाल श्रम के खिलाफ आम जनता में जन जागरूकता फैलाया जाए तथा स्थानीय बाल श्रमिकों का पुनर्वास उप श्रमायुक्त और अन्य स्वयंसेवी संगठनों की मदद से की जाए।

8. यदि बाल श्रमिक स्थानीय है तो उसे (लड़का/लड़की) रोजगार आधारित तकनीकि शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।

9. बाल गृह के संरक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को अपने यहां रखते समय संबंधित बाल कल्याण समिति से अनुमति ले ले।

10. बाल कल्याण समिति के निर्देशों एवं सूचनाओं आदि के बारे में संबंधित श्रमायुक्त या उपायुक्त को हर महीने अवगत कराया जाए।

11. एक सदस्य को नामित करने के लिए जो कि जिला स्तरीय टास्कफोर्स का सदस्य हो सकता है– बाल कल्याण समिति को पत्र भेजा जाए। वह सदस्य व्यक्ति जिला टास्कफोर्स और बाल कल्याण समिति के बीच की कडी के रूप में काम करेगा जो कि सभी व्यवहारिक कार्यो जिसमें छापामार कार्यवाही से पूर्व की योजना मिटिंग, मुक्त बच्चों के तात्कालिक तौर पर देख–भाल व संरक्षण के लिए अंतरिम आदेश पारित करने, बच्चे का विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, बच्चे के परिवार के बारे में पता लगाना, उसके सामाजिक पुनर्वास एवं उसकी निगरानी जैसे कार्यो के संपादन के लिए जवाबदेह होगा। किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के निर्देशानुसार समिति का सदस्य उस जगह/कैम्प/घर/छात्रावास/पुनर्वास केन्द्र पर जाकर जहां पर बच्चा रह रहा है, उससे मित्रवत बात कर सभी प्रकार की जांच की कार्यवाही सम्पन्न करेगा और अपना रिपोर्ट तैयार करेगा।

12. पुनर्वास केन्द्र का आंतरिक माहौल हमेशा ऐसा रखा जाए कि बच्चे को वहां का वातावरण मित्रवत लगे व किसी प्रकार की परेशानी न महसूस हो।

उत्तराखण्ड पुलिस की जिम्मेदारी

1. किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23 व 26, भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराएं जो कि वहां लागू हो रही है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 समेत अन्य उन सभी उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करना जो कि बाल श्रम को रोकने में सहायक हो।

2. बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों व किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 'विशेष जुवेनाईल पुलिस ईकाई' का गठन किया जाए।

3. पुलिस विभाग द्वारा 'विशेष जुवेनाईल पुलिस ईकाई' के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए समग्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा एन्टी ट्रैफिक यूनिट की जिम्मेदारी होगी व अन्य संबंधित विभागों के साथ उचित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करे।

4. मालिक/नियोक्ता के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा 363,365,367,368,370,371,374 और 34 तथा इसके साथ–साथ

किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23,24,26 के प्रावधानों व बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 समेत जो भी अन्य कानून लागू होता हो, के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर सभी आवश्यक कार्यवाही की जाए।

5. मुक्त बाल मजदूर के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और आगे की कार्यवाही के लिए बाल कल्याण समिति/बाल गृह को सौंप दिया जाए।

6. धारा 32 के तहत केस को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि बच्चा किसी अन्य राज्य का हो तो बाल कल्याण समिति के माध्यम से उसे उसके माता–पिता को सौंप दिया जाए।

7. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मानव व्यापार जैसे अपराधों को रोकने एवं छान–बीन के लिए बनाए गए 'स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) के दिशा–निर्देशों के अनुसार इन मामलों की जांच की जाए।

8. यदि मामला संगठित मानव व्यापार का हो और इसमें बड़े पैमाने पर संगठित रूप से पूरा तंत्र शामिल हो तो इसकी पूरी छान–बीन करना अनिवार्य है तथा इस प्रकिया में हर उस व्यक्ति को दायरे में लिया जाए जो इस अपराध में शामिल है।

9. यदि मामला गुमशुदा बच्चों का हो तो, यह मानकर कि इसका संबंध मानव व्यापार से हो सकता है, पुलिस को चाहिए कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दे।

10. यदि बच्चों को काम करवाने के मकसद से, किसी और राज्य से उत्तराखण्ड लाया गया हो और वह बच्चा यहां गुमशुदा हो जाए तो शिकायत मिलते ही पुलिस को चाहिए कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दे।

बाल श्रम मुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी

(1) बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बच्चे को बिना लिंग और जाति भेदभाव शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मजबूर करना चाहिए।

(2) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।

(3) आठवीं तक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान ऐंसे बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिया जाना चाहिए।

(4) जिन क्षेत्रों में स्कूल नही जाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है या जहां बाल मजदूरी की समस्या है, वहां वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने चाहिए।

(5) ऐसी स्थितियां पैदा की जानी चाहिए कि बच्चों का शिक्षा में रूझान बढ़े।

(6) बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बच्चे अगर स्कूल में दाखिले के बाद फिर स्कूल छोड़ देते है तो स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

(7) बाल मजदूरों के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया जाना चाहिए।

(8) शिक्षा में कमजोर बच्चों की देखभाल में क्षेत्र के एनजीओ को शामिल किया जा सकता है।

(9) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जिलाधिकारी को इस संबंध में मासिक रिपोर्ट भेजेगा जिसकी प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी भेजी जाय। इसमें स्कूल और कक्षा के अनुसार बाल मजदूरों की हाजरी और उनके छोड़कर जाने का विवरण हो। इसके अतिरिक्त शिक्षा से वंचित बच्चों का ब्यौरा और उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयासों की जानकारी भी दी जाय। जिलों की इन रिपोर्टो की जिला स्तर की टास्क फोर्स और राज्य स्तर की निगरानी कमेटी में विचार विमर्श हो।

(10) शिक्षा विभाग सुनिश्चित करे कि हाईस्कूल में अध्यापकों और छात्रों का उचित अनुपात हो, विषय के अनुसार अध्यापक भी मौजूद हों, अध्यापक समय पर स्कूल आयें और ऐंसे बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते रहें जिन्हें बाल मजदूरी से मुक्त करवाया गया या मौजूदा कानून के अनुसार बाल मजदूरी में संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवाएं
(आई0सी0डी0एस0) कार्यक्रम

6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, उनमें कुपोषण, मृत्युदर एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृति को कम करने व माताओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत में दिनांक 02 अक्टूबर, 1975 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। आई0सी0डी0एस0 के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है –

1. 06 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति को सुधारना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
3. मृत्युदर, रूग्णता, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृति को कम करना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
5. उचित स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिये माताओं की क्षमता बढ़ाना।

उत्तराखण्ड के परिक्षेत्र में वर्ष 1978–79 में तीन विकासखण्डों, चकराता, कीर्तिनगर एवं धारचूला में बाल विकास परियोजनायें आरम्भ की गयी। वर्तमान में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 13 जनपदों के अन्तर्गत 95 विकासखण्डों एवं 08 शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित कर कुल 105 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से संचालित है।

आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं का विवरण –

(i) (1) अनुपूरक पोषाहार – आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। इस सेवा का उद्देश्य है कि समुदाय में बच्चों तथा महिलाओं के पोषण की विशिष्ट आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाते हुए कुपोषण समाप्त किया जाये। अनुपूरक पोषाहार की राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 के अनुपात में रहती है।

(ii) (ब) स्कूल पूर्व शिक्षा – 03 से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस सेवा के अन्तर्गत बच्चों के सर्वांगींण विकास हेतु रू0 1000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र तथा रू0 500/– प्रति मिनी केन्द्र के मानक से प्री–स्कूल एजुकेशन किट दिये जाने का प्रावधान है। निदेशालय आई0सी0डी0एस0 स्तर पर किट क्रय कर आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करायी जाती है। शिक्षा विभाग के समन्वय से 4676

आंगनबाड़ी केन्द्र ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के रूप संचालित किये जा रहे हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रू0 5000.00 स्थापना राशि एवं रू0 1500.00 वार्षिक राशि सर्व शिक्षा अभियान से प्रदान की जाती है।

(iii) (2) स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण – प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह में एक बार (शनिवार) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस चिकित्सा विभाग के समन्वय से आयोजित होता है, जिसमें बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर सेवाएं आदि प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु रू0 600/– एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु रू0 300/– का वार्षिक मानक निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती हैं, जिसका क्रय महानिदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के माध्यम से होता है।

(iv) (3) वृद्वि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएं – प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्वि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु।

समेकित बाल संरक्षण योजना

(Integrated Child Protection Scheme)–

2009 में भारत सरकार ने सभी बाल कानूनों के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना शुरू की।

चाईल्ड हेल्प लाइन (1098)

आईसीपीएस के अंतर्गत प्रत्येक जिले में बच्चों को निःशुल्क फोन हेल्प लाइन 1098 उपलब्ध करवाई जायेगी जो समेकित बाल संरक्षण योजना से जुड़ी इकाइयों के साथ समन्वयन कर बच्चों की समस्याओं के समाधान में सेतु का काम करेंगी। वर्तमान में उत्तराखण्ड के देहरादून और हरिद्वार में यह योजना चल रही है। वर्ष 2012–13 में दो ग्रामीण जिलों अल्मोड़ा और टिहरी और नैनीताल में भी योजना शुरू हो जाएगी।

योजना में समाज की भागीदारी

योजना के सिद्वांतों में कहा गया है कि– योजना बाल संरक्षण के लिए सरकार और समुदाय की साझी जिम्मेदारी आधारित योजना है। योजना में बच्चों को दयनीय स्थिति से उबारना, उनके परिवारों की क्षमता बढ़ाना और गैर संस्थागत परवरिश को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागो, विशेषज्ञ संस्थानों और संस्थाओं के बीच ताल–मेल बिठाना प्रमुख है।

बच्चों की सुरक्षा और देख भाल के लिए योजना में ग्राम स्तर तक बाल सुरक्षा सेवाओं को पहुंचाने को सुनिश्चित करना। देखभाल और सुरक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों की स्थापना करना, सभी सुविधा दाताओं की क्षमताओं का विकास करना, विशेषज्ञ प्रोफेशनल बाल सुरक्षा सेवाएं हर स्तर पर सुनिश्चित करना, किसी आपातकाल से निपटने की प्रबंधन दक्षता हर स्तर पर विकसित करना, परिवार और समाज के बीच आंतरिक रिश्तों को मजबूत करना और इन सब सेवाओं की देखरेख तथा सामुदायिक ऑडिट करना महत्वपूर्ण कार्य किए जायेंगे।

कार्य करने के तरीके –

योजना सरकार और गैरसरकारी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से चलाई जायेगी जिसमें सभी स्तर के जिम्मेदार व्यक्ति और विभागों का सहयोग लिया जायेगा। देखभाल और सुरक्षा से वंचित बच्चों की बेहतरी के लिए मां–बाप, समुदाय, समुदाय में कार्य कर रहे सभी सरकारी विभागों, विशेषज्ञों को एक साथ प्रयास में लगाया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयो से निम्न कार्यक्रम और योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होनी चाहिए।

1. देख–रेख और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों पर कार्य किया जायेगा। जिसमें शहरी और अर्द्वशहरी क्षेत्रों में जरूरत मंद तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए विभिन्न गृहों की स्थापना, कर्मचारियां का वेतन, भोजन, कपड़े आदि के लिए केन्द्र–राज्य पर पचास–पचास फीसदी के आधार पर सहभागिता के साथ खर्च होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए सम्प्रेक्षण गृह (आब्जर्वेशन होम), विशेष गृह (स्पेशल होम) और जरूरत मंद बच्चों के लिए आश्रय गृह (शैल्टर होम), बाल गृह (चिल्ड्रन होम) खोलना।
2. सड़क पर रहने वाले बेघर एवं परिवार सहित बच्चों हेतु एक समेकित कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत बच्चो के लिये आश्रय गृहों को चौबीसों घण्टे चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है तथा बच्चे को भोजन, वस्त्र, आवास, अनौपचारिक शिक्षा, मनोरंजन, परामर्श, मार्गदर्शन तथा रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती है, योजना के अन्य घटकों में स्कूलों में नामांकन व्यवसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक पद स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रेरित करने, नशीली दवाओं एवं नशीली वस्तुओं के उपयोग को रोकने, एच.आई.वी/एडस की घटनाओं में कमी लाने के लिये सहायता प्रदान की जाती है।

3. विपदाग्रस्त बच्चो, विशेषकर देख–रेख और संरक्षण की जरूरत मंद बच्चों हेतु चाईल्ड हैल्प लाईन ताकि इन बच्चों को चिकित्सा सेवायें, दुर्व्यवहार से बचाने, परामर्श देने, परिवार में वापस भेजने एवं पुनर्वास की सेवायें प्रदान की जा सकें।
4. अनाथ/अपरिपक्व/निराश्रित शिशुओं और 06 वर्ष तक के बच्चों की देख–रेख एवं संरक्षण तथा इन बच्चो के पुनर्वास हेतु परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल, जिसमें सपांसरशिप, फोस्टर केयर (धात्री निवास) एडाप्ट (गोद लेना) आदि शामिल है।
5. घरेलू नौकर, सडकों के किनारे बने ढाबों, मैकेनिक की दुकानों आदि में काम करने वाले बच्चों हेतु देख–रेख और संरक्षण के जरूरत मंद काम काजी बच्चों हेतु योजना के अंतर्गत इस योजना में सेतु शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, दवाईयों, भोजन, मनोरंजन खेल के सामान आदि हेतु प्रावधान है।
6. काम काजी माताओं के 0 से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के अंतर्गत दिन के दौरान भोजन, आश्रय, चिकित्सा, मनोरंजन आदि जैसी सुविधाओं सहित व्यापक देख–रेख सेवायें प्रदान की जाती है।
7. अवैध देह व्यापार एवं यौन दुर्व्यवहार की पीडित महिलाओं एवं बच्चों की देख–रेख और संरक्षण प्रदान करने के लिये नेटवर्क, बचाव अभियान, पीडितों हेतु अस्थाई आश्रय, मूल निवास स्थान पर वापस भेजना एवं विधिक सेवायें आदि शामिल है।
8. देश के अन्दर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने तथा देश के बाहर दत्तक ग्रहण को विनियमित करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) एक स्वायक निकाय है। जो भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण में संलग्न भारतीय एवं विदेशी एजेंसियों की सहायता निर्धारित मानदण्डों के तहत कार्य करने में करती है ताकि ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से हो तथा उनका शोषण न हो सके।
9. बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इस योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशिष्ट स्कूल/पुनर्वास केन्द्रों को खोलने के लिए जिला स्तर पर परियोजना सोसाइटियों का पूर्ण रूप से वित्तीय पोषण किया जाता है। इन विशिष्ट स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रो में रोजगार से हटाए गये बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

समेकित बाल संरक्षण योजना, निम्नलिखित पर केन्द्रित है –

1. जोखिम में पडे बच्चों और परिवारों के लिए जरूरतों और सेवाओं का मानचित्रण।
2. जिला और राज्य स्तरों पर बाल संरक्षण योजनाएं तैयार करना– यह योजना क्रमशः ब्लॉक तथा समुदाय स्तर पर विस्तारित की जाएगी।

3. निवारणात्मक, वैधानिक, परिचर्या और पुनर्वास सहित सेवा आपूर्ति प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को सुदृढ बनाना।
4. प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाना।
5. माता–पिता की देख रेख से वंचित बच्चों के लिए गैर संस्थागत परिवार आधारित देख रेख के विकल्पों जिसमें सुभेध परिवारों के लिए प्रत्याभूति, संबद्व देखरेख स्वदेशी दत्तक ग्रहण, पालन पोषण देखरेख और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण सहित वरीयता के क्रम में प्रोत्साहन देना और सुदृढ बनाना शामिल है।
6. सेवा प्रदाताओं की क्षमता का विकास।
7. ज्ञान आधार, जागरूकता और समर्थन का सुदृढीकरण।
8. एक समेकित, जीवंत वेब आधारित डाटाबेस की स्थापना (कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, देखरेख वाले बच्चे, सेवा प्रदाता और प्रदान की गई सेवाएं) साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन तथा सेवा आयोजना निर्णय लेने के लिए।
9. निगरानी और मूल्यांकन।
10. सभी स्तरों पर, विशेष रूप से बुनियादी स्तर के समुदाय और जिला स्तरों पर बाल संरक्षण के लिए भागीदारी और संबद्वता का निर्माण।
11. अन्य निकायों और संस्थानों जैसे राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि के साथ सह संबंध मजबूत बनाना।

संक्षेप में समेकित बाल संरक्षण योजना
के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था का प्रावधान है–

1. **देखरेख, समर्थन और पुनर्वास सेवाएं–**

   क– चाईल्ड हैल्प लाईन के माध्यम से आपातकालीन पहुंच सेवाएं

   ख– शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिए खुले आवास

   ग– प्रवर्तकता कार्यक्रम, पालन पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण तथा पश्चातवर्ती देखरेख के माध्यम से परिवार आधारित गैर संस्थागत देखरेख।

2. **संस्थागत सेवाएं** – के अनतर्गत जैसा कि किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000 की व्यवस्था के तहत।

   1– आश्रय गृह।

   2– बाल गृह।

   3– पर्यवेक्षण गृह।

   4– विशेष गृह।

5– विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिये विशेष सेवायें।

3. **आवश्यकता आधारित नई पहलों के लिए सामान्य सहायता अनुदान।**
4. **वैधानिक समर्थन सेवाएं–** (किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000), के व्यवस्था के अन्तर्गत गठित –

   क– जिला बाल कल्याण समितियों (CWC) व उनके कार्यालयों तथा कार्यरत कार्मिको को वित्तीय सहायता।

   ख– जिला किशोर न्याय बोर्डो (JJ Board) व उनके कार्यालयों तथा कार्यरत कार्मिको की वित्तीय सहायता।

   ग– थानों में बाल कल्याण अधिकारी (CWO)

   घ– जिलों में विशेष पुलिस इकाई (SJPU)।

5. राज्य परियोजना सहायता यूनिट को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता।
6. राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन, जो प्रदेश में शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 द्वारा बनाई जा चुकी है।
7. राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति।
8. जिला बाल संरक्षण संस्था।
9. जिला बाल संरक्षण समिति प्रवर्तकता और पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति।
10. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति।
11. ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति।
12. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का गठन।

गृह मंत्रालय की मानव तस्करी रोकथाम योजना

यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती शादी, घरेलू कामकाज करवाने, गोद लेने, भीख मंगवाने, खेलों में इस्तेमाल करने के लिए अपहरण किए जाने (खासकर महिलाओं और बच्चों) की तस्करी संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। ये सभी अपराध मानवाधिकार के खिलाफ हैं। ये सभी अपराध भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, जो गहरी चिन्ता का विषय है। मानवाधिकार आयोग की 2004 में प्रकाशित 'महिलाओं और बच्चों की तस्करी' रिपोर्ट में पाया गया है कि पुलिस में मानव तस्करी के मामलों में जानकारी का अभाव है और जागरूकता या दिलचस्पी भी नही है। पुलिस की अन्य आपराधिक मामलों की छानबीन में व्यस्तता के कारण में इस तरह के अपराधों को प्राथमिकता में नहीं लिया जा रहा।

संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ और अपराध अनुभाग के साथ मिलकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाया है। महाराष्ट्र, गोवा, बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार को प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। देश के सभी प्रदेशों में मानव तस्करी विरोधी पुलिस इकाई (AHTU) गठित कर दी गई है। राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार और गैर सरकारी संगठनों को भी पुलिस की AHTU में शामिल किया जाता है। और सभी को मिलाकर एक इकाई के रूप में काम करना है। मानव तस्करी रोकने की इस योजना पर केन्द्र सरकार अनुदान दे रही है। प्रत्येक राज्य के आधे जिलों को इस योजना में शामिल कर के केंद्रीय अनुदान से योजना शुरू की गई है। उत्तराखण्ड के सात जिले चयनित हैं।

जिम्मेदारी

मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) की जिम्मेदारी है कि वह सभी संबंधित विभागों जैसे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल करना और मानव तस्करी के अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करना। यूनिट की जिम्मेदारी है कि वह सभी विभागों के संसाधनो का इस्तेमाल करते हुए मानव तस्करी की सूचना मिलने पर सामूहिक आपरेशन से प्रभावित व्यक्ति को मुक्त करवाए और कानून के तहत कार्रवाई करे।

भारत के संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 से उद्धृत राष्ट्रीय बाल नीति भारत सरकार (22 अगस्त 1974 का संकल्प)

प्रस्तावना

1. राष्ट्र के बच्चे एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण संपत्ति है। उनकी देखभाल और चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पुष्ट नागरिक बनें और शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सजग और नैतिक रूप से स्वस्थ बनें। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि बढत की अवधि में सभी बच्चों को विकास के समान अवसर मिले क्योंकि इससे असमानता कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का हमार ज्यादा व्यापक उद्देश्य पूरा होगा।
2. बच्चों की आवश्यकताओं और उनके प्रति हमारे दायित्व संविधान में बताए गए है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में राज्य की नीति को निर्देशित करता है। राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग से इन दस्तावेजों में बताए गए लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में संकल्प पारित करती है।

नीति और उपाय

3. बच्चों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें जन्म से पूर्व और इसके बाद तथा बढ़त की पूरी उम्र में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य की नीति होगी। राज्य ऐसी सेवाओं का कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ाता जाएगा ताकि सुनिश्चित अवधि में देश में सभी बच्चों को उनके संतुलित विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां मिलें। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से, निम्न उपाय किये जाएंगे–
   i. सभी बच्चों को एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा।
   ii. बच्चों की खुराक में कमियां दूर करने के उद्देश्य से पोषण सेवाएं देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

iii. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के आम स्वास्थ्य में सुधार, उनकी देखभाल, पोषण तथा उन्हें पोषण के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

iv. राज्य 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उचित उपाय करेगा और राष्ट्रीय स्त्रोतो की उपलब्धता के अनुरूप इस कार्य के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्कूलों में इस समय बच्चों की, खास तौर से लड़कियों और कमजोर वर्ग के बच्चों की, जो बरबादी और उनके विकास में जो ठहराव आ रहा है, उसे कम करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। ऐसे ही वर्गो के बच्चे को स्कूल जाना शुरू करने से पहले अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्यक्रम भी चलाया जाए।

v. जो बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाने की स्थिति में नही है, उनकी जरूरतों के अनुरूप शिक्षा के अन्य तरीके उपलब्ध कराए जान चाहिए।

vi. स्कूलों, समुदायिक केन्द्रों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं में शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, खेल और अन्य मनोरंजक ताकि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढावा दिया जाएगा।

vii. अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए कमजोर वर्गो जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों और गांवों और शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के बच्चों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

viii. विपन्न सामाजिक परिस्थितियों वाले, अपराधी बन चुके, भिखारी बनने को मजबूर और अन्य परेशानियों में जी रहे बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास दिलाया जाएगा और उन्हें देश के लिए उपयोगी नागरिक बनने में मदद की जाएगी।

ix. बच्चों को अपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बचाने के लिए संरक्षित किया जाएगा।

x. चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को जोखिम वाले कामों में लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, न ही उन्हें भारी काम करने दिया जाएगा।

xi. शारीरिक रूप से विकलांग, संवेगात्मक रूप से उद्वेलित और मंदबुद्धि बच्चों के विशेष उपचार, शिक्षा, पुनर्वास और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।

xii. विपत्तियों और राष्ट्रीय आपदाओं के समय राहत सहायता देने में बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

xiii. अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों, खास तौर से कमजोर वर्गो के ऐसे बच्चों, का पता लगाने, प्रोत्साहित करने और अनकी सहायता करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगें।

xiv. वर्तमान कानूनों में इस प्रकार संशोधन किए जाएंगे ताकि सभी कानूनी विवादों में, चाहे वे माता–पिताओं के बीच हों अथवा

संस्थाओं के बीच, बच्चों के हितों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा।

xv. बच्चों के लिए विभिन्न सेवाओं के आयोजन में पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे ताकि सामान्य परिवार, पास–पड़ोस और समुदाय के वातावरण में बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके।

कार्यक्रम बनाने में प्राथमिकता

4. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम बनाने में, इन क्षेत्रों से संबद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी–

   I. बच्चों के स्वास्थ्य से संबद्ध, रोगो की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य के उपायों वाले पक्षों को बढ़ावा देना।

   II. स्कूल जाना शुरू करने से पहले बच्चों और शिशुओं के पोषण के साथ–साथ गर्भवती महिलाओं और स्तन–पान कराने वाली माताओं के पोषण के कार्यक्रम।

   III. अनाथ और विपन्न बच्चों की देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण की समस्या।

   IV. कामकाजी अथवा बीमार माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए बाल–गृह (क्रेच) तथा अन्य सुविधाएं,

   V. विकलांग बच्चों की देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था।

राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन (बाल अधिकार संरक्षण आयोग)

5. पिछले दो दशकों में हमने उपर्युक्त दिशाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने में काफी प्रगति की है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण गतिविधियों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। जहां भी जीवन–स्तर उठा है, उससे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी हुई हैं। लेकिन सारे काम का ऐसा केन्द्र–बिंदु और मंच होना जरूरी है, जिसके माध्यम से बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने में लगी विभिन्न सेवाओं का नियोजन, समीक्षा और समन्वय हो सके। ऐसा ही केन्द्र–बिंदु उपलब्ध करान तथा विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक सेवाओं का निरंतर नियोजन, समीक्षा और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल बोर्ड बनाया जाएगा।

   राज्य स्तर पर भी ऐसे ही विभिन्न बोर्ड बनाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 1989 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारत में एनसीपीआई एक्ट बना कर केन्द्र और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

6. सरकार ऐसे प्रयास करेगी ताकि बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएं और उपयुक्त योजनाएं चलाई जाएं। इसके साथ–साथ, बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को, स्वयं या सरकारी सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक कल्याण सेवाओं के विकास का अवसर मिलता रहेगा। भारत में स्वयंसेवी कार्य की परंपरा रही है। राज्य का प्रयास स्वयंसेवी कार्य को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने का होगा ताकि राज्य के और स्वयंसेवी प्रयास एक–दूसरे के पूरक बन सके। बाल कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा इनके विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों, न्यासों, कल्याणकारी तथा धार्मिक संस्थाओं के संसाधनों का हर संभव इस्तेमाल किया जाएगा।

विधायी और प्रशासनिक उपाय

7. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। विस्तृत हो रहे कार्यक्रमों की जरूरतें पूरी करने तथा सेवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुसंधान–कार्य तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

जनता की भागीदारी

8. भारत सरकार को विश्वास है कि इस वक्तव्य में बताई गई नीति को समाज के सभी वर्गो तथा बच्चों के लिए काम कर रहे सभी संगठनों का समर्थन और सहयोग मिलेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अपनी भागीदारी निभाने के लिए भारत सरकार अपने नागरिको और स्वयंसेवी संगठनों का आहवान भी करती है।

बच्चों की राष्ट्रीय नीति, (चार्टर) 2003
9 फरवरी 2004 को मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी

भारत सरकार ने देश में सभी बच्चों के लिए एक नीति निर्धारण का फैसला किया ताकि देश का कोई भी बच्चा भूखा, बीमार या निरक्षर न रहे। विचार

विमर्श के बाद बच्चों के लिए निम्न राष्ट्रीय नीति तय की गई। यह नीति 9.02. 2004 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई ।
भारत के संविधान के तीसरे और चौथे हिस्से में बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित में कहा गया है।

- अनुच्छेद 15 (3) सरकार बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है।
- अनुच्छेद 21 (1) में कहा गया है कि सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगी।
- अनुच्छेद (24) में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को फैक्ट्री, खाद्यान या किसी जोखिम भरे काम मे नहीं लगाया जाएगा।
- अनुच्छेद 39 (4) में कहा गया है कि बाल्यकाल में बच्चों के साथ किसी तरह का दुर्ब्यवहार नहीं किया जाएगा। बच्चों को उनकी आयु और शक्ति से अधिक कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 39 (5) में कहा गया है कि बच्चों को स्वस्थ वातावरण में विकास करने के लिए आवश्यक और सुविधाए मुहैया करवाई जाएं। सम्मान और स्वतंत्र वातावरण किया जाए। बच्चों का शोषण होने से रोकने के लिए उन्हे सरंक्षण दिया जाए।
- अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जब तक बच्चों की उम्र 6 वर्ष नहीं हो जाती तब तक सरकार सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रबंध करेगी।
- अनुच्छेद 51 (ए) में कहा गया है कि बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच होगी तो उनके अभिभावक या माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं।

जहां हम बच्चों की राष्ट्रीय नीति 1974 में बच्चों के जन्म से पूर्व और बाद में और उम्र की विकास की अवधि के दौरान उन्हे हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने की प्रतिबद्वता व्यक्त की है ताकि उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास हो।
वही हम दृढतापूर्वक दोहराते हैं कि राज्य, समाज, समुदाय और परिवार के माध्यम से बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि उनकी मूल जरुरतों की पूर्ति हो। हम यह भी दोहराते हैं कि जहां सरकार, समाज, समुदाय और परिवार का बच्चे के प्रति कर्तव्य है वंहा यह भी देखा जाना चाहिए कि बच्चों का भी फर्ज है कि वे परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हो और उनके भीतर हर तरह के संस्कार भरे जाने चाहिए। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे का सम्मान करते समय समाज खुद का भी सम्मान कर रहा होता है।
अतः शासन के राष्ट्रीय एजेंड़े में ली गई शपथ के अनुसार बच्चों की निम्नलिखित राष्ट्रीय नीति, (चार्टर) 2003 घोषित की जाती है। इस चार्टर के माध्यम से सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को अधिकार है कि वह अपने बचपन की खुशी हासिल करे। हमारा मकसद है कि उन समस्याओं का निदान हो जो बच्चों के स्वस्थ विकास में बाधक है और सामाजिक दृष्टि से परिवार,

समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए समाज की आत्मा भी जागृत हो जिसमें संरक्षण का वातावरण तैयार हो।

(1) अस्तित्व, जीवन और स्वतंत्रता

(क) सरकार और समुदाय सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के जीवन अस्तित्व और आजादी की रक्षा के सभी संभव उपाय हों।
(ख) विशेष रूप से सरकार और समुदाय शिशु हत्या और भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाएंगे। इसमें भी खासकर बच्चियों की गरिमा की रक्षा की जायेगी और उन्हें सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित नही किया जायेगा।

(2) स्वास्थ्य और पोषण के उच्च मानकों को बढ़ावा

(क) सरकार इस तरह के कदम उठायेगी जिससे बच्चे स्वास्थ्य के उच्चतम मानकों का उपभोग कर सकें और सभी स्तर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उपाय किये जायेंगे।
(ख) गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ देखभाल और उपचार के कदम उठाये जायेंगे।
(ग) सरकार माताओं की प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर बीमारियों से रोकथाम के लिए उचित कदम उठायेगी।
(घ) राष्ट्रीय स्तर की योजना जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जानी है, सरकार सुनिश्चित कदम उठायेगी।
(ड़) सरकार ऐसी सभी प्रथाओं से बच्चों का संरक्षण करेगी जिससे उसके शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता हो।

(3) स्वच्छता और सफाई

(क) सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों के बच्चों को पूरक पोषण भोजन की व्यवस्था करेगी और सुनिश्चित करेगी कि उन्हें स्वच्छ पेयजल, पर्यावरणीय स्वच्छता और साफ–सुथरा वातावरण मिल सके।

(4) मूल न्यूनतम आवश्यकताओं और सुरक्षा देने का वायदा

(क) सरकार मानती है कि हर बच्चे की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति की जानी चाहिए।

(ख) सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ काम करेगी जिससे खासकर परित्क्तत्य और सड़कों, गलियों में जीवन व्यतीत करने को मजबूर बच्चों की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति हो सके।

(ग) सरकार समुदाय की भागीदारी से यह भी कोशिश करेगी कि उन वजहों को समाप्त किया जाय जिनके कारण बच्चों के परित्क्तत्य होने की स्थिति पैदा होती है और उन्हें गलियों, सड़को में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर ऐंसे बच्चों को मूलभूत सुविधाए शिक्षा, पोषण, मनोरंजन के माध्यम और शैल्टर मुहैया करवायेगी।

(5) खेल–कूद एवं आराम

(क) सरकार और समुदाय मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आयु वर्ग के बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए उन्हें खेल–कूद और आराम की सुविधाएं मुहैया करवाई जाय।

(6) बाल्यकाल के शुरूआती दिनों की देख–भाल

(क) सरकार समुदाय की भागीदारी के साथ ऐसी योजना बनायेगी जिसमें बच्चों के बाल्यकाल के चहुमुखी विकास के कार्यक्रम बन सके।

(ख) सरकार समुदाय की भागीदारी के साथ हर गांव में बाल्य देखभाल केन्द्र स्थापित करेगी, जहां कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हो सके।

(ग) सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित रह गये समाज के वर्ग से जुड़े परिवारों के बच्चों के लिए यह सब सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास करेगी।

(7) मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

(क) सरकार मानती है कि सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार प्राथमिक स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगी और इसके लिए खास कदम उठाये जायेंगे जिससे समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिले। प्रवेश के बाद वे स्कूल में शिक्षा पूर्ण भी करें।

(ख) माध्यमिक स्तर पर सरकार सभी को शिक्षा उपलब्ध करवायेगी और वंचित वर्ग को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी।

(ग) सरकार समुदाय के साथ भागीदारी में सुनिश्चित करेगी कि सभी शिक्षा संस्थाएं कुशलता से कार्य करें और निचले स्तर पर नामांकन, भागीदारी और उपलब्धता हासिल हो सके।

(घ) सरकार और समुदाय इस बात को कबूल करते हैं कि बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए।

(ड़) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे को मिलने वाली शिक्षा सार्थक और उसके अनुकूल है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि बालिकाओं और

विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शिक्षा उनके विकास के लिए अनुकूल है।

(च) सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्कूल का अनुशासन और इससे संबंधित बाकि बातें बच्चे की शारिरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक पर दुष्प्रभाव न डाले।

(छ) सरकार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करके उनको प्रोत्साहित करने और उनके मनपसंद क्षेत्र में विकास के खास कार्यक्रम बनाएगी।

(8) आर्थिक शोषण और हर तरह के दुव्यर्वहार से सुरक्षा

(क) सरकार बच्चों के आर्थिक शोषण और खतरनाक किस्म के काम करने से रोकने के लिए बच्चों को संरक्षण देगी।

(ख) सरकार सुनिश्चित करेगी कि जहां बच्चे गैर खतरनाक कार्यो में संलग्न है वहां उचित नियम, कायदा लागू हों और उनके अधिकारों की सुरक्षा हो।

(ग) सरकार आने वाले समय में हर तरह के बाल श्रम को समाप्त करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठायेगी।

(9) शारिरिक शोषण

(क) हर बच्चे को अधिकार है कि उसकी उपेक्षा, दुव्यर्वहार, चोट पहुंचाने, उसकी तस्करी किये जाने, यौन शोषण और हर तरह का शारिरिक शोषण किये जाने, स्कूलों में सजा दिये जाने, दण्ड दिये जाने, हिंसा किये जाने, यातना दिये जाने, अपमानजनक व्यवहार किये जाने पर उन्हें संरक्षण मिले।

(ख) सरकार उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जो ऊपर लिखे मामलो में शामिल होकर बच्चों का शोषण कर रहे हैं, भले ही वे संबंधित बच्चे के मां–बाप और संरक्षक ही क्यों न हो।

(ग) सरकार समुदाय की भागीदारी से ऐसा तंत्र स्थापित करेगी, जिससे बच्चे की निजता और सम्मान की रक्षा करते हुए ऐसे मामलो में ठीक ढंग से जांच और पहचान की जा सके और आगे कार्रवाई हो सके।

(घ) सरकार समुदाय की भागीदारी से सुनिश्चित करेगी कि पीडित बच्चे की पहचान, देखभाल, पुर्नवास के उचित कदम उठाये जा सके और यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चा उत्पीड़न से ऊभरकर मानसिक और शारिरिक रूप से मजबूती हासिल करते हुए समाज में घुल–मिल सके।

(10) अनैतिक गतिविधियों से संलिप्तता

(क) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठायेगी कि बच्चे मादक द्रवों की तस्करी, भिक्षावृति, वैश्यावृति, यौन व्यापार, अश्लील साहित्य या हिंसा जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल न हो।
(ख) समुदाय की भागीदारी के साथ सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के बच्चों को तुरन्त मुक्त करवाकर सही जगह पर संरक्षित रखा जाय।
(ग) सरकार और समुदाय संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और यह तय करेंगे कि उनका चहुमुखी विकास और कल्याण हो सके।
(घ) प्राकृतिक विपदा के समय सरकार और समुदाय सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को सही संरक्षण दिया जाय।

(11) बालिकाओं की सुरक्षा

(क) सरकार और समुदाय यह सुनिश्चित करेंगे कि बालिकाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचार न हो। बाल विवाह, भेदभाव पूर्ण व्यवहार, वैश्यावृति और तस्करी में बच्चियों को शामिल करने जैसे अपराधों का तीव्र गति से अंत होना चाहिए।
(ख) सरकार और समुदाय मिलकर इस तरह के सामाजिक, शैक्षणिक और कानूनी कदम उठाएंगे ताकि परिवार और समाज में बालिकाओं का ज्यादा सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
(ग) सरकार इस तरह के गंभीर कदम उठाएगी जिससे बाल विवाह की प्रथा को तेजी से समाप्त कर दिया जाय।

(12) किशोरों का सशक्तिकरण

(क) सरकार और समुदाय किशोरों को जरूरी और कामकाजी शिक्षा के लिए कदम उठाएंगे ताकि बच्चे आर्थिक रूप से उत्पादक नागरिक बन सके। खासतौर पर किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

(13) समानता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता संगठन बनाने की स्वतन्त्रता और शांतिपूर्वक इकठ्ठे होने की स्वतन्त्रता

सरकार और समुदाय सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों के साथ बिना भेदभाव समानता से व्यवहार किया जाय। इस बात का बिल्कुल ख्याल न रखा जाय कि बच्चे या उसके माता–पिता या अभिभावक की जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म राजनीतिक राय, राष्ट्रीयता, अपंगता, जन्म आदि कहां से है, कहां से नही है।

(14) सभी बच्चों को उनके व्यक्तित्व, रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे

(15) सभी बच्चों को सूचना मांगने और हासिल करने की स्वतन्त्रता होगी

(क) सरकार और समुदाय बच्चों को सूचना और विचार उपलब्ध करवाने का अवसर देंगे ताकि बच्चों का विकास हो सके।

(ख) सरकार और समुदाय इस तरह के कदम उठायेंगे कि जिससे बच्चे की भाषाई जरूरतें पूरी हों और उन्हें विभिन्न रूपों के अनुकूल जानकारियां और सामग्री उपलब्ध करवाई जाय।

(ग) सरकार और समुदाय मास मीडिया के लिए ऐंसे दिशा–निर्देश तैयार करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मास मीडिया में परोसे जाने वाली सामग्री बच्चों के लिए घातक न हो।

(16) सभी बच्चों को संगठन बनाने, शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार होगा लेकिन वे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के साथ उचित प्रतिबंधों के अधीन आजादी का आनन्द लेंगे।

(17) परिवार की मजबूती

(क) हर बच्चे को पारिवारिक जीवन का अधिकार हे। अगर बच्चा परिवार से अलग हो जाता है तो सरकार सुनिश्चित करेगी कि बच्चे को उसके माता–पिता के साथ मिलवाने को प्राथमिकता दे। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि बच्चे के परिवार से पुनर्मिलन से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो बच्चे के सर्वेश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए सरकार तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

(ख) सभी बच्चों को अपने परिवार के साथ संबंध रखने का अधिकार है। भले ही किन्हीं कारणों से बच्चा सरकार की सुपुर्दगी में हो।

(ग) सरकार इस तरह के कदम उठायेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बिना परिवार का बच्चा या तो गोद लिया जाय या किसी पालक की देखरेख में हो या किसी भी परिवार से अन्य सेवाओं के लिए उपाय करने होंगे।

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों के लिए बनाई जाने वाली सेवाएं उनके सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए लागू की जाय और इस तरह के नियामक निकाय स्थापित किये जाय जो बनाये गये नियमों का सख्ती से पालन करवाये।

(ड़) सभी बच्चों को हिरासत में रखे गये अपने माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का अधिकार होगा।

(18) माता–पिता की जिम्मेदारी

(क) सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि बच्चे के पालण–पोषण में दोनो (माता–पिता) की सामूहिक जिम्मेदारी है।

(19) विकलांग बच्चों की सुरक्षा

(क) सरकार और समुदाय मानते है कि विकलांग बच्चों को पूरे सम्मान के साथ जीने में मदद की जानी चाहिए। इस तरह के कदम उठाये जायेंगे जिससे विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने और जिन्दगी के सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

(ख) सरकार और समुदाय उन्हें ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, पुर्नवास आदि मुहैया करवाएंगे जिससे उनका सभी क्षेत्रों में विकास हो सके।

(ग) सरकार और समुदाय विकलांगता के खिलाफ निवारक कार्यक्रम चलायेगी और अभियान चालकर पता लगायेगी कि विकलांग बच्चों के परिवारों की शिनाख्त हो सके ताकि उन्हें बच्चे की परवरिश में उचित मदद की जा सके।

(घ) सरकार इस तरह के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देगी जिससे विकलांगता की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास में मदद मिल सके।

(20) वंचित और उपेक्षित समुदायों के बच्चों की देखभाल और संरक्षण

(क) सरकार और समुदाय वंचित और उपेक्षित समुदायों के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और उनके कल्याण को सुनिश्चित करेगी। सरकार उन्हें अपने अस्तित्व को बनाये रखने में मदद करेगी और अपनी परम्पराओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(21) सरकार यह महसूस करती है कि वंचित समुदायों और समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि दिलाने में विशेष हस्तक्षेप की जरूरत है। सरकार अपनी नीति और कार्यक्रमों में इस तरह का प्रावधान करेगी कि इन वर्गो का विशेष ध्यान रखा जाय।

(22) प्रक्रिया को बच्चे के अनुकूल सुनिश्चित करना

(क) बच्चों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और मामले जैसे न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक या सामाजिक, बच्चे के अनुकूल होने चाहिए। किशोर न्याय प्रणाली में तय की गई सभी प्रक्रियाएं भी बच्चों के अनुकूल होंगी।

विशेष किशोर पुलिस यूनिट तथा बाल कल्याण अधिकारियों का विवरण

S. N.	Name Of District Name of the Police Station	No. of Police Station Name/designation of the SJPUO/CWO	No of CWOs Contact No of the police Station/CWO
1	**उत्तरकाशी**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री चन्द्रमोहन सिंह, पुलिस उपा0	9411743835
	1 थाना कोतवाली	उ0नि0 श्री संजीव मंमगाई	9410321982
	2 थाना मनेरी	उ0नि0 आनन्द लाल	9410360923
	3 थाना धरासू	उ0नि0 बीर सिंह बिष्ट	9412995470
	4 थाना बड़कोट	उ0नि0 बी0एल0 चन्दोला	9410186459
	5 थाना पुरोला	उ0नि0 रवि प्रसाद	9410729969
2	**टिहरी गढ़वाल**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री राजेश भट्ट, पु0उपा0	9411112096
	1 थाना टिहरी	हे0का0 सुमेर सिंह	9412957457
	2 थाना चम्बा	हे0का0 सूरत शर्मा	9411725536
	3 थाना नरेन्द्रनगर	म0का0 मधु नेगी	7579059453
	4 थाना मुनिकीरेति	का0 संजय चौहान	9410790344
	5 थाना देवप्रयाग	का0 दर्शन लाल	9411141520
	6 थाना कीर्तिनगर	का0 कुलदीप सिंह	8923954366
	7 थाना घनसाली	कानि0 कुलदीप पोखरियाल	9761046195
3	**चमोली**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री धनीराम आर्य	9411112096
	1 थाना गोपेश्वर	श्री रमेश सिंह राणा उ0नि0	9719643223
	2 थाना चमोली	श्री कुन्दनराम उ0नि0	9458134773
	3 थाना कर्णप्रयाग	उ0नि0 मोहन चन्द पडलिया	9410025751
	4 थाना जोशीमठ	उ0नि0 एम0एल0 शाह	9412154246
	5 थाना श्री बद्रीनाथ	श्री चन्द्रमोहन नेगी उ0नि0	9411112861
	6 थाना पोखरी	श्री प्रमोद मैठाणी उ0नि0	9411752002
	7 थाना थराली	श्री सुरेश कुमार उ0नि0	9411191836
4	**रूदप्रयाग**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री आर0 डिमरी	9760236855
	1 थाना कोतवाली	उ0नि0 श्री हिमेन्द्र सिंह रावत	9412438175
	2 थाना उखीमठ	उ0नि0 प्रेम सिह चौहान	9411112861
5	**पौड़ी गढ़वाल**	विशेष किशोर पुलिस इकाई	9458593155

		अधिकारी (SJPUO)– श्री जी0आर0 वर्मा, पु0उपा0	
	1 थाना पौड़ी		9410196998
	2 थाना कोटद्वार	म0का083नापु0 रेखा मेहता	9639100566
	3 थाना श्रीनगर	म0क0 फाईमा परबीन	9410534667
	4 थाना लक्ष्मणझूला	म0का0282ना0पु0 सुनीता	9758903494
	5 थाना देवप्रयाग	म0का0322ना0पु0 रामेश्वरी	9412938773
	6 थाना धुमाकोट	म0का05ना0पु0 अनुराधा भट्ट	7500336501
	7 थाना कालागढ़	हे0का0 चन्द्रमोहन	8477005912
	8 थाना रिखणीखाल	म0का0 रेशमा	7830100120
	9 थाना सतपुली	हे0का0 बिशन लाल	7830220712
	10 थाना लैन्सडाउन	म0का053ना0पु0 भुवनेश्वरी	9458313773
	11 महिला थाना श्रीनगर	म0का053 ना0पु0 अंजू रावत म0हे0का0 54 खगोती	9917123373
6	**देहरादून**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्रीमती श्वेता चौबे पु0उपा0	9411112993
	1 थाना कोतवाली	म0उ0नि0 कविता जोशी	9410677859
	2 थाना कैन्ट	उ0नि0 विनय कुमार	9837966399
	3 थाना बसंतविहार	उ0नि0 सतेन्द्र सिंह	9411774376
	4 थाना जीआरपी	उ0नि0 नंदनसिंह रावत	9997208653
	5 थाना डालनवाला	म0उ0नि0 अनीता नेगी	9027282581
	6 थाना नेहरू का0	म0उ0नि0 प्रीति शर्मा	9410572395
	7 थाना पटेलनगर	म0उ0नि0 विभा पंवार	9410909141
	8 थाना रायपुर	म0उ0नि0 कमलेश शर्मा	8979482056
	9 थाना राजपुर	उ0नि0 दीपक रावत	9917404999
	10 थाना मसूरी	उ0नि0 राजीव सेमवाल	8533975271
	11 थाना क्लेमनटाउन	उ0नि0 बीना श्रीवास्तव	9456752414
	12 थाना कालसी	उ0नि0 रवि कुमार	8411112820
	13 थाना चकराता	उ0नि0 मुकेश थलेड़ी	9412381870
	14 थाना डोईवाला	उ0नि0 मीना आर्य	9457647282
	15 थाना रानीपोखरी	उ0नि0 शिवप्रसाद डबराल	9897963317
	16 थाना ऋषिकेश	म0उ0नि0 हेमलता	7830663322
	17 थाना विकासनगर	हे0का0 दया राघव	9411314550
	18 थाना सहसपुर	उ0नि0 धनराज सिंह	9808019689
	19 थाना रायवाला	उ0नि0 साधना त्यागी	9412919841
7	**हरिद्वार**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्रीमती शाहजहॉ जावेद खान पुलिस उपाधीक्षक	9411111954
	1 थाना कोतवाली	म0का0 मुन्नी राणा	7351153938
	2 थाना ज्वालापुर	उ0नि0 कविता रानी	9458144586
	3 थाना कनखल	म0का023 नमिता	9720411453
	4 थाना रानीपुर	म0का014 पवन चौहान	9412383353

	5 थाना रूड़की	उ0नि0 श्रीमती बीना रावत	999768834
	6 थाना गंगनहर	हे0का0 हेमलता पांडे	9412939795
	7 थाना भगवानपुर	म0हे0का0 मंजू	9136301666
	8 थाना मंगलौर	म0का0 317 किरन	8650699233
	9 थाना लक्सर	म0का0431 सीता रावत	9719862051
	10 थाना पथरी	म0का0749 रंजना राणा	9410330953
	11 थाना श्यामपुर	म0का0788 सुमन चौहान	9917069997
	12 जीआरपी हरिद्वार	म0का0 रीता चौहान	9456132642
	13 जीआरपी लक्सर	उ0नि0 नवाब सिंह	9760111295
	14 थाना बहादराबाद	म0का031 उषा साहनी	9412929709
	15 थाना झबरेड़ा	उ0नि0 सुनील रमोला	9690444259
	16 थाना खानपुर	उ0नि0 दर्शन सिंह बिष्ट	8057212027
	17 थाना बुग्गावाला	उ0नि0 रोशन लाल जुयाल	9927005321
8	**अल्मोड़ा**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री विमल कुमार पु0उपाधीक्षक	9897360899
	1 थाना अल्मोड़ा	श्री कलमराम आर्य निरीक्षक	9411112881
	2 थाना रानीखेत	श्री रामीराम निरीक्षक	9411112882
	3 थाना सामेश्वर	श्री रमेश सिंह नेगी उ0नि0	9411790644
	4 थाना लमगडा	श्री दीवान सिंह रावल उ0नि0	9411112887
	5 म0थाना अल्मोड़ा	श्रीमती हेमा गुणवंत उ0नि0	9411112885
	6 थाना द्वाराहाट	उ0नि0 अजाज आलम खॉ	9411112886
	7 थाना भतरोजखान	श्री अरूण कुमार वर्मा उ0नि0	9411112884
	8 थाना सल्ट	उ0नि0 रोहताश सिंह सागर	9456593300
9	**बागेश्वर**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री पी0सी0पंत पु0उपाधीक्षक	9411594102
	1 थाना कोतवाली	उ0नि0 श्री रेवती नन्द	9639055741
	2 थाना कपकोट	उ0नि0 श्री सुभाष जोशी	9412866241
	3 थाना झिरौली	हे0का0 गोविन्दी टम्टा	9410919595
	4 थाना बैजनाथ	उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह	9411944628
10	**चम्पावत**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री अमित श्रीवास्तव	9456593370
	1 थाना कोतवाली	निरीक्षक आर0एस0 टोलिया	9411112918
	2 थाना पंचेश्वर	उ0नि0 जोगा राम	9456510917
	3 थाना लोहाघाट	उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा	9410908241
	4 थाना टनकपुर	उ0नि0 मंजू पाण्डे	9760692304
	5 थाना बनबसा	उ0नि0 चन्द्रशेखर कन्याल	9412123740
	6 थाना तामली	श्री मदनमोहन जोशी उ0नि0	9412929844
	7 थाना रीठासाहिब	उ0नि0 श्री माधोराम	9456593369
11	**पिथौरागढ़**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)–	9411111955

		श्री स्वप्न किशोर सिंह, पु0उपा0	
	1 थाना कोतवाली	निरीक्षक श्री डी0आर0 आर्य	9411112888
	2 थाना कनालीछीना	उ0नि0 पी0एस0 दानू	9411112899
	3 थाना डीडीहाट	उ0नि0 बिशनराम	9410189038
	4 थाना थल	उ0नि0 बी0एल0 शर्मा	9411112897
	5 थाना अस्कोट	उ0नि0 मंगल सिंह	9456141961
	6 थाना जौलजीवी	उ0नि0 जी0एल0 शाह	05967–2236336
	7 थाना बलुवाकोट	उ0नि0 खुशालराम	9412959007
	8 थाना बेरीनाग	उ0नि0 रमेश चन्द्र	9410588281
	9 थाना धारचूला	उ0नि0 रमेश रजवार	9410909200
	10 थाना मुनस्यारी	उ0नि0 दयाकिशन	9412957152
	11 थाना झूलाघाट	उ0नि0 अजय लाल शाह	9411112893
	12 थाना पांगला	उ0नि0 प्रकाश चन्द	सैल स्थापित नही
12	**नैनीताल**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्री प्रमेन्द्र सिंह डोबाल	9411112741
	1 थाना रामनगर	उ0नि0 शमशेर अली	9837987176
	2 थाना मुक्तेश्वर	उ0नि0 पन्नीराम टम्टा	9897098283
	3 जीआरपी काठगोदाम	उ0नि0 त्रिलोचन जोशी	9410311422
	4 थाना चोरगलिया	उ0 नि0 विनोद जोशी	9837917800
	5 थाना कालाढुगी	उ0नि0 मनोहर सिंह	9837224861
	6 थाना काठगोदाम	उ0नि0 बलबीर सिंह राणा	9456591918
	7 थाना लालकुआं	उ0नि0 गोविन्द सिंह बिष्ट	9410089377
	8 थाना मल्लीताल	उ0नि0 जगदीश राम	9412969616
	9 थाना तल्लीताल	म0उ0नि0 रेवती पन्त	9412375604
	10 थाना भवाली	उ0नि0 राजेन्द्र सिंह रावत	9412957384
	11 थाना भीमताल	उ0नि0 मनोहर सिंह पांगती	9808468577
	12 थाना बेतालघाट	उ0नि0 रमेश ढौंडियाल	9877088832
	13 थाना हल्द्वानी	म0उ0नि0 लता बिष्ट	9739159999
13	**उधमसिंहनगर**	विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी (SJPUO)– श्रीमती लता जोशी उ0नि0	9412038314
	1 थाना पंतनगर	उ0नि0 के0सी0 जोशी	7500999001
	2 थाना दिनेशपुर	उ0नि0 पुष्पा बिष्ट	9690459777
	3 थाना रूद्रपुर	उ0नि0 आशा बिष्ट	9456333974
	4 थाना गदरपुर	उ0नि0 शंकर नाथ	7351342357
	5 थाना बाजपुर	उ0नि0 पी0सी0 जोशी	8006880008
	6 थाना काशीपुर	उ0नि0 राशिदा	9410130761
	7 थाना कुण्डा	उ0नि0 अनिल आर्य	9411907952
	8 थाना जसपुर	उ0नि0 अजीत कुमार	8445225911
	9 थाना किच्छा	उ0नि0 एच0आर0 आर्य	9412124877
	10 थाना सितारगंज	उ0नि0 दिनेश नाथ	8650505552
	11 थाना नानकमत्ता	उ0नि0 मनोज कुमार	9837759485

	12 थाना खटीमा	उ0नि0 विनोद कुमार	9759295705

बाल कल्याण समिति एवं जुबेनाईल कमेटी के सदस्यों की सूची

क्रं	जनपद	बाल कल्याण समिति के सदस्य	जुबेनाईल कमेटी के सदस्य
1	चमोली	1–श्री गोपाल दत्त जोशी, अध्यक्ष मो0 –9411577584, 01372–252530 2–श्री द्वारिका प्रसाद शैली, सदस्य मो0– 9458102069, 01372–251467 3–श्री बद्री प्रसाद काला, सदस्य मो0– 9410125402, 01363–268157 4– श्रीमती हेमलता भट्ट, सदस्य मो0–9411368964, 01372–253068 5– डॉ0 हरीश मैखुरी, सदस्य मो0– 9412032471, 9997821196	1–चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चमोली, प्रधान न्यायाधीश पदेन 2–श्रीमती किरन पुरोहित, सदस्य–01372–757368 3– श्री भुवन नौटियाल, सदस्य–9411362010
2	टिहरी गढ़0	1–श्रीमती मिश्रा राणा, अध्यक्ष 2–श्रीमती सुगुफता परवीन, सदस्य मो0–9897988742, 01376–234174 3–श्री राजेन्द्र सिंह गुसाई, सदस्य मो0– 9412412708 4–श्री सुदामानन्द, सदस्य 5–श्रीमती प्रभा रतूड़ी, सदस्य मो0–9917081718	1–सिविल जज (जू0डि0) प्रधान न्यायाधीश (पदेन) 2–श्रीमती मनोज नकोटी, सदस्य–9411739151 3–श्रीमती रेखा गैरोला, सदस्य
3	पौड़ी गढ़0	1–श्री अशोक बोड़ाई, अध्यक्ष मो0– 9411719574 2–श्रीमती विजय, सदस्य मो0–9536582473 3–श्रीमती बीना रौथाण, सदस्य मो0– 9897723083, 01368–221592 4– श्री शशि भूषण, सदस्य मो0– 9412368604, 01382–213253 5– कु0 लीडिया अनुग्रह, सदस्य मो0– 9719725439	1–सिविल जज (जू0डि0) पौड़ी, प्रधान न्यायाधीश 2–श्री रामपाल सिंह, सदस्य– 94113453363 9412965979
4	देहरादून	1–श्रीमती विनीता कुमार, अध्यक्ष मो0– 9837060894 2–श्रीमती सन्तोष शर्मा, सदस्य 3–श्रीमती शैल बिष्ट, सदस्य मो0– 9412155046 4–श्रीमती किरन उल्फत, सदस्य मो0– 9412047649 5–श्रीमती (डा.)वी. प्रतिभा शर्मा मो0– 9837435180	1–जुडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून, प्रधान मजिस्ट्रेट (पदेन) 2–श्रीमती मालती सिंह, सदस्य–9997410744 3–श्री डी0एन0 भट्ट, सदस्य–9411571697
5	हरिद्वार	1–श्रीमती कमला जोशी, अध्यक्ष मो0– 9758265133, 01334–242555 2–श्रीमती (डा.) सीमा रानी, सदस्य	1–जुडीशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार, प्रधान न्यायाधीश (पदेन)

		मो0– 9758953522, 01332–273080 3–श्रीमती शशि क्षेत्रीय, सदस्य मो0– 9359932709, 01334–323081 4–श्री तसलीम हसन, सदस्य मो0–9759387253 5–श्रीमती रश्मि गुप्ता, सदस्य मो0– 9837079434	2–श्रीमती रीता, सदस्य–9927141457 3–श्री मो0 मुस्तफा, सदस्य–9719573485
6	उधमसिंह नगर	1–डॉ0 सतीश अरोरा, अध्यक्ष मो0–9837015482, 05944–243236 2–श्री विवेक तागरा, सदस्य मो0– 9917782902 3–डा. सुश्री रजनीश, सदस्य मो0–9412986233 4–श्री भंवर पाल सिंह, सदस्य मो0–9756884051 5– बीना नागर, सदस्य मो0– 9897869025	1–जुडीशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार, प्रधान न्यायाधीश (पदेन) 2–श्रीमती राधिका चौधरी, सदस्य 3–श्री देवेन्द्र प्रसाद, सदस्य–9412091321
7	नैनीताल	1–श्री एस0सी0 मिश्रा, अध्यक्ष मो0– 9412085096, 05942–247033 2–श्रीमती पुष्पा जोशी, सदस्य मो0–9837802267 3–श्रीमती सीमा अधिकारी, सदस्य 4–श्रीमती दीपा उपाध्याय, सदस्य मो0– 9719636819 5–श्री कमरूद्दीन, सदस्य मो0–9411130786	1–सिविल जज (जू0डि0) प्रधान न्यायाधीश (पदेन) 2–डॉ0 श्रीमती सरस्वती खेतवाल, सदस्य–9410907070 3–श्री जहूर आलम, सदस्य
8	अल्मोड़ा	1–डॉ0 इला शाह, अध्यक्ष मो0– 9410727000, 05962–230455 2–श्री चन्द्र प्रकाश फुलोरिया, सदस्य मो0– 9997155229, 05962–230623 3– कु0 हेमलता भट्ट, सदस्य मो0–9412306534, 05962–230623 4–श्री खड़कपाल सिंह, सदस्य मो0–9411708346, 05966–244292 5–श्री भगवती प्रसाद, सदस्य मो0–9410362836	1–सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रधान न्यायाधीश पदेन 2–डॉ0 इन्दु प्रभा, सदस्य– 9411116967 3–श्री मनोज सनवाल, सदस्य–9837649166
9	पिथौरागढ़	1– श्रीमती मीनू भट्ट, अध्यक्ष मो0–9412962255, 05964–225324 2–श्री गिरीश चन्द्र भट्ट, सदस्य 05964–211586 3–श्रीमती गोदावरी देवी, सदस्य मो0–9858193100, 05964–211586 4–श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य मो0–9690725690, 05964–287527 5–श्री कमल सिंह कार्की, सदस्य मो0– 9456760931	1–चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रधान न्यायाधीश पदेन 2–श्रीमती रेवती जोशी, सदस्य 3–श्री जगदीश कालोनी, सदस्य–9411132512

10	रूद्रप्रयाग	1–श्रीमती उषा सकलानी, अध्यक्ष 2–श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य 3–श्री प्रदीप सिंह, सदस्य 4–श्रीमती सुनीता देवी, सदस्य 5–श्रीमती सुमन पंवार, सदस्य	1–सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रधान न्यायाधीश (पदेन) 2–श्रीमती सुशीला बिष्ट, सदस्य– 9411582490 3–श्री गंगाधर सेमवाल, सदस्य–9411739151
11	उत्तरकाशी	1–श्रीमती लखपति भटट, अध्यक्ष मो0–9410197825 2–सुश्री पुष्पा चौहान, सदस्य मो0–9410753309 3–श्री लोकेन्द्र सिंह, सदस्य 4–श्री यशवीर सिंह रावत, सदस्य 5–श्री उत्तम सिंह गुसाई, सदस्य मो0– 9410752070	1–सिविल जज (जूनियर डिविजन) उत्तरकाशी, प्रधान न्यायाधीश पदेन 2–श्रीमती सूमनी राणा, सदस्य–9412965979 3–श्री श्रीपाल सिंह, सदस्य–9927880297
12	चम्पावत	1–श्री भुवन चन्द्र गढकोटी, अध्यक्ष 2–श्रीमती शान्ति अधिकारी, सदस्य 3–श्री सतीश चन्द्र जोशी, सदस्य 4–श्री विमला बोहरा, सदस्य 5–श्री बंशीधर फुलारा, सदस्य	1–चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रधान न्यायाधीश पदेन 2–श्रीमती मंजू पाटनी, सदस्य–9917242954 3–श्री संजय प्रकाश जोशी, सदस्य–9897199099
13	बागेश्वर	1–श्री ताराचन्द उप्रेती, अध्यक्ष 2–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य 3–श्री दुर्गा असवाल, सदस्य 4–श्री पूरण चन्द्र जोशी, सदस्य 5–श्री नवनीत चन्द्र जोशी, सदस्य	1–सिविल जज(जूनियर डिविजन) प्रधान न्यायाधीश पदेन 2–श्रीमती निर्मला दफोटी, सदस्य–9410133388 3–श्री जगदीश जोशी, सदस्य– 9410524177

राज्य में चल रहे विभिन्न बाल गृह, सम्प्रेक्षण गृह और विशेष गृह

क0सं0	संस्था का नाम	संस्था अध्यक्ष का नाम	कोड़ नं./दूरभाष नं.
1.	राजकीय नारी निकेतन, देहरादून।	श्रीमती तृप्ता रानी प्र. अधीक्षिका	0135–2100929
2.	राजकीय बालिका निकेतन, देहरादून।	श्रीमती अंजना गृप्ता	मो. 9412901045
3.	राजकीय शिशु सदन, देहरादून।	श्रीमती अंजना गुप्ता प्र. अधीक्षिका	मो. 9412901045
4.	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय, देहरादून।	श्रीमती तृप्ता रानी प्र. अधीक्षिका	0135–2100929
5.	रा. सम्प्रेक्षण गृह, देहरादून।	श्रीमती मीनाक्षी पोखरियाल स.अ.	0135–2660060
6.	रा.नारी.निकेतन जौनपुर थत्यूड टिहरी।	–	–
7.	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय नरेन्द्रनगर, टिहरी।	श्रीमती भद्रा बिष्ट प्र.स. अधिक्षिका	01376–227167
8.	रा.शिशुशाला एवं बालवाडी केन्द्र नरेन्द्र नगर, टिहरी	श्रीमती रमा उनियाल, का.प.	01376–227167
9.	रा.नारी निकेतन नौगांव उत्तरकाशी।	श्रीमती सरला रावत प्र.अ.	01375–245369
10.	रा.महिला प्रशिक्षण केन्द्र उत्तरकाशी।	श्रीमती उमा नेगी प्र.का.	–
11.	रा.सम्प्रेक्षण गृह उत्तरकाशी	श्री सरोप सिंह प्र.स.अ.	01374–233424 मो. 9412914215
12.	रा.सम्प्रेक्षण गृह उत्तरकाशी।	श्री सरोप सिंह प्र.स.अ.	01374–233424 मो. 9412914215
13.	रा.सम्प्रेक्षण गृह पौडी	श्री मुलकराज अधिकारी प्र.स.अ.	मो. 8171165969
14.	रा.जिला शरणालय एवं प्रवेशालय पौडी	श्रीमती विमला देवी प्र.स.अ.	मो. 9927160874
15.	रा.सम्प्रेक्षण गृह हरिद्वार	श्री राजकुमार गुप्ता प्र.स.अ.	मो. 9319684850
16.	रा.विशेष गृह हरिद्वार	श्री राजकुमार गुप्ता प्र.अ.	मो. 9319684850
17.	रा.बाल गृह हरिद्वार	श्री राजकुमार गुप्ता प्र.अ.	मो. 9319684850
18.	रा.सम्प्रेक्षण गृह उधमसिहंनगर	श्री शंकर लाल प्र.स.अ.	–
19.	रा.सम्प्रेक्षण गृह हल्द्वानी	श्री चन्द्र कुमार पाण्डे प्र.स.अ.	मो. 9759072082
20.	रा. जिला शरणालय एवं प्रवेशालय हल्द्वानी	श्रीमती विधा वेलवाल	05946–255077

21.	रा.शिशुशाला एवं बालवाडी केन्द्र हल्द्वानी	श्रीमती कमला पाण्डे प्र.स.अ.	मो. 8755147210
22.	रा.सरंक्षण गृह अल्मोडा	श्री एस.एस. विष्ट प्र.अ.	05962–230295
23.	रा.सम्प्रेक्षण गृह अल्मोडा	श्री चन्द्र शेखर उप्रेती स.अ. (नि0)	05962–234318
24.	रा.बालिका निकेतन अल्मोडा	श्रीमती रेखा शाह प्र.अ.	05962–233556
25.	रा.शिशु सदन अल्मोडा	श्रीमती सुशीला देवी	05962–233652
26.	रा.शिशुलाल एवं बालवाडी केन्द्र अल्मोडा	श्रीमती इन्द्रा बाल्मीकि स.अ.	–
27.	रा.आश्रम पद्वति विद्यालय बागेश्वर	श्रीमती कल्पना मनराल अ.	05963–221549
28.	रा.निराश्रित महिला कर्मशाला पिथौरागढ	श्रीमती नेत्रा जोशी प्र.अ.	05964–224102

संपादन - अजय सेतिया, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड